एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार

विषय – " जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण "

दिनांक– 28/10/2025
दिन – मंगलवार
समय– प्रातः 11:00
प्रायोजक – उच्च शिक्षा विभाग भोपाल मध्यप्रदेश
आयोजक – शासकीय महाविद्यालय जैतपुर जिला –शहडोल

आमंत्रित वक्ता

प्रो. आवेश गोयल
सहायक प्राध्यापक एवं वाणिज्य विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट लोचन प्रसाद पाण्डेय पी.जी. कॉलेज,
सारंगढ़ (छ.ग.)

डॉ. विजय कुमार साहू
सहायक प्राध्यापक एवं वाणिज्य विभागाध्यक्ष
स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम
मॉडल कॉलेज, कांकेर (छ.ग.)

मुख्य संरक्षक
श्री प्रबल सिपाहा
आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.)

प्रमुख संरक्षक
डॉ. आर.पी. सिंह
अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा रीवा
संभाग रीवा (म.प्र.)

संरक्षक
पूर्व कुलपति एवं प्राचार्य
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

सह–संरक्षक
प्रो.विकास खरे
प्राचार्य,शासकीय महाविद्यालय जैतपुर
जिला–शहडोल (म.प्र.)

आयोजन समिति

श्री. आई.बी. सिंह
संयोजक

डॉ. मनीष महरा
सह–संयोजक

डॉ. जिया लाल राठौर
सदस्य

श्री मनीष कुमार पाण्डेय
सदस्य

प्राचार्य संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे संस्थान द्वारा आयोजित वेबिनार "जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण" पर आधारित शोध–पत्रों का संकलन एक ISSN स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यह स्मारिका न केवल विद्वानों के शोध कार्य का दस्तावेज होगी, बल्कि भारत में जीएसटी के व्यापक प्रभावों को समझने का एक सशक्त शैक्षणिक माध्यम भी सिद्ध होगी।

जीएसटी भारत के कर ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इसने "एक राष्ट्र–एक कर–एक बाजार" के सिद्धांत को मजबूत किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल एवं संरचित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आर्थिक दृष्टि से जीएसटी ने व्यापार में बाधाओं को कम किया, कराधान की जटिलताओं को सरल बनाया और राजस्व संग्रहण में सुधार लाया है। वहीं राजनीतिक दृष्टि से इसने केंद्र व राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को नई दिशा दी है, हालांकि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, परिषद की निर्णय–प्रक्रिया और मुआवजा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण बहसें भी सामने आई हैं।

इस वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक सार्थक मंच प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बहुआयामी प्रभावों — राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, और सामाजिक का गंभीर विश्लेषण किया है। मुझे विश्वास है कि यह स्मारिका आने वाले समय में अध्ययन, शोध के क्षेत्रों में उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेगी।

मैं इस अवसर पर वेबिनार आयोजन समिति, सभी प्रतिभागियों, शोध–पत्र लेखकों तथा संपादकीय टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह अकादमिक स्मारिका सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रही है। आशा है कि ज्ञान और शोध की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हमारा संस्थान शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में नए आयाम स्थापित करता रहेगा।

शुभकामनाओं सहित!

प्रो. विकास खरे
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय जैतपुर
जिला– शहडोल (म.प्र.)

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

संयोजक संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार "जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण" अत्यंत सफल रहा और अब इस वेबिनार से प्राप्त श्रेष्ठ शोध–पत्रों का संकलन एक ISSN स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यह संकलन न केवल हमारे प्रतिभागियों के गहन शोध–कार्य का प्रमाण है, बल्कि भारतीय कर प्रणाली में हुए व्यापक परिवर्तनों को समझने का एक महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज भी है।

जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय आर्थिक ढाँचे में अनेक सकारात्मक बदलाव आए हैं– कराधान की सरलीकरण प्रक्रिया, व्यावसायिक सुगमता, राजस्व संगति तथा पारदर्शिता में वृद्धि। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच संवाद, समन्वय और निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं को नई दिशा दी है। इस वेबिनार में शोधकर्ताओं ने इन दोनों आयामों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिससे यह चर्चा और भी समृद्ध और उपयोगी बन गई।

मुझे विश्वास है कि यह स्मारिका शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी। इससे न केवल जीएसटी के प्रभावों को गहराई से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आगे होने वाले आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की दिशा पर भी विचार करने का अवसर मिलेगा।

मैं वेबिनार में सहयोग देने वाले सभी साथियों, तकनीकी टीम, प्रतिभागियों एवं शोध–पत्र लेखकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से, मैं हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और स्मारिका का प्रकाशन संभव हो सका।

अंत में, मैं आशा करता हूँ कि ज्ञान–विस्तार की यह श्रृंखला भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ जारी रहेगी और हमारा संस्थान शैक्षणिक उत्कृष्टता के उच्च मानदंड स्थापित करता रहेगा।

सादर !

प्रो. आई.बी. सिंह
राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय जैतपुर
जिला– शहडोल (म.प्र.)

अनुक्रमणिका

क्र.	शोध पत्र का शीर्षक	लेखक	पेज
1	**Assessing the Effectiveness of GST in Enhancing Tax Compliance and Revenue Mobilization in India Kanhai Kumar,**	**Kanhai Kumar,** **Dr. Rajesh Kumar,**	5–17
2	**Opportunities and Challenges of GST for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India.**	**NAVEEN RAI**	18–21
3	भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभावः एक राजनीतिक विश्लेषण	इन्द्र बहादुर सिंह	22–28
4	भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीन मानक संचरण में जीएसटी की भूमिका	डॉ. अनीता शुक्ला	29–38
5	जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन	डॉ. सिद्धार्थ कुमार वर्मा	39–40
6	जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण	डॉ. सत्यप्रकाश वर्मा	41–42
7	जीएसटी सुधार 2.0ः भारतीय कर प्रणाली में एक नया अध्याय	कविता नागर	43–45
8	जीएसटी की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक व्यापक अध्ययन	डॉ. जिया लाल राठौर* डॉ. मनीष कुमार महरा*डॉ. संध्या सिंह राठौर***	46–50
9	जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण	मनीश कुमार पाण्डेय	51–52
10	विकासशील भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसटी की नीतिगत प्रासंगिकताः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	सुनीता सिंह	53–55

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

Assessing the Effectiveness of GST in Enhancing Tax Compliance and Revenue Mobilization in India

Kanhai Kumar
Research Scholar (JRF)
Department of Commerce, Jai Prakash University
Mobile No: +91 8292999436
Email: kr.kanhai2016@gmail.com

Dr. Rajesh Kumar
Assistant Professor
Department of Commerce, Jai Prakash University
Mobile No: +91 7992384116
Email: rajesh9112kumar@gmail.com

ABSTRACT

The Goods and Services Tax (GST) has been one of the most important tax reforms in India. It replaced multiple indirect taxes with a single, unified system that aims to make taxation simpler, fairer, and more transparent. This paper examines how effective GST has been in improving tax compliance and increasing government revenue. The study is based on official data covering the years since GST was introduced. It looks at the number of registered taxpayers, return filing trends, and overall revenue collections. The findings show that GST has helped bring more businesses into the tax network and encouraged better compliance through digital processes such as e-invoicing and online return filing. Revenue collections have grown steadily, even during challenging years, showing stronger tax administration and better awareness among taxpayers. The study concludes that GST has improved both compliance and revenue mobilization, though there is still scope for further simplification and policy improvement.

Keywords: GST, Tax Compliance, Revenue Growth, Tax Reform, India, Digital Tax System, Government Revenue.

INTRODUCTION

The Goods and Services Tax (GST) is one of the biggest tax reforms in India's history. It was introduced on 1st July 2017 to replace several indirect taxes like excise duty, service tax, VAT, and entry tax with one single system. The main idea behind GST was to make the tax system simple, transparent, and fair for everyone. It also aimed to bring all businesses under one national tax network and improve revenue collection for the government.

Since its introduction, GST has changed how businesses file and pay taxes. The use of online systems such as e-filing, e-invoicing, and automatic return matching has made the process easier and more

transparent. These steps have also helped the government monitor transactions better and reduce tax evasion. Many small and medium businesses have now become part of the formal tax system, which was one of the key goals of GST.

However, GST also faced some difficulties in the beginning. Many taxpayers found it hard to understand the new system, and there were technical issues in the portal. Over time, with regular policy updates and better technology, the system has become more stable and user-friendly.

This research paper tries to study how effective GST has been in improving tax compliance and increasing revenue collection in India. It looks at official data on registrations, tax returns, and collections to understand how GST has changed the country's tax structure and helped the economy become more organized.

REVIEW OF LITERATURE

Garg et al. (2023)[1] observed that the introduction of the Goods and Services Tax (GST) has influenced how Indian states generate revenue. Their study suggests that several states are finding it difficult to maintain adequate revenue levels under the GST framework and could experience financial strain if the central government withdraws GST compensation in the future. **Deshmukh et al. (2022)[2]** highlighted the significance of the Revenue Neutral Rate (RNR), explaining that it represents the rate at which government revenue under the GST system equals that of the earlier tax structure. The study cautions that setting a higher RNR could reduce India's domestic competitiveness when compared with other countries. **Chakraborty (2024)[3]** found that many MSME owners consider the pre-GST tax system more favourable, mainly because the current GST framework is viewed as complex and unclear. This finding highlights the persistent difficulties faced by the MSME sector in adapting to the GST regime. **Bhalla et al. (2023)[4]** analysed the GST compliance framework and its influence on overall business performance. Their study, supported by earlier research, indicates that tax reforms play a crucial role in shaping compliance behaviour and costs, which in turn affect taxpayers' attitudes toward fulfilling their tax obligations. **Basavarajaiah et al. (2022)[5]** stated that the Goods and Services Tax (GST) offer several benefits for consumers and is designed to strengthen India's international competitiveness. However, they also pointed out that the implementation process has created certain challenges that require effective management and continuous policy attention. **Garg et al. (2024)[6]** utilized the Theory of Planned Behaviour to analyse compliance behaviours among GST taxpayers, collecting data from 503 individuals. Their findings suggest that the Theory of Planned Behaviour accounts for a significant variance in taxpayers' compliance behaviours. **Garg et al. (2024)[7]** observed that while the adoption of GST has mitigated some cascading effects within the taxation system, numerous loopholes for tax evasion and avoidance persist. The study notes that compliance rates have not improved substantially over time, leading to inconsistent revenue outcomes for Indian states. **Revathi et al. (2024)[8]** provided a comprehensive examination of GST's implications across various economic domains, highlighting its effects on trade dynamics and export competitiveness. Their analysis indicates that GST reforms have streamlined trade procedures and market integration. **Ray (2020)[9]** presented empirical data on public perceptions surrounding the introduction of

the GST in India, stressing the necessity of enhancing consumer understanding and acceptance to cultivate a favourable view of the GST system. **Neog and Gaur (2020)**[10] investigated the relationship between tax structure and economic growth using models that incorporated various tax instruments, illustrating the importance of understanding the effects of tax policy on economic performance in India. **Chawla (2020)**[11] examined the perceived advantages of GST in simplifying the indirect tax structure and addressing inefficiencies faced by businesses, with implications for both central and state tax administrations. **Pandey et al. (2023)**[12] analysed stakeholder perceptions within the textile industry regarding the multi-slab GST system in India, highlighting that awareness and compliance measures are essential for maximizing the benefits of GST reforms. **Lleshaj et al. (2022)**[13] focused on the role of tax control in revenue generation, providing insights that may also apply to the Indian context while analysing compliance dynamics and their implications for public policy. **Shacheendran (2024)**[14] identified significant barriers that business owners encounter in complying with GST regulations, advocating for improved taxpayer engagement and support strategies for effective implementation.

OBJECTIVES AND METHODOLOGY

- **Objectives of the Study**

The main aim of this research is to understand how effective the Goods and Services Tax (GST) has been in improving tax compliance and revenue collection in India. The study focuses on how GST has changed the indirect tax system and helped in making it more transparent and efficient.

The specific objectives are:

1. To analyse the growth trend of GST revenue in India from 2017–18 to 2024–25.
2. To assess the performance of composition scheme taxpayers in terms of return filing and tax payment behaviour.
3. To examine the level of digital compliance and reporting efficiency through the e-invoicing system introduced under GST.
4. To evaluate the effectiveness of the e-way bill system in monitoring goods movement and promoting compliance in trade logistics.

- **Methodology**

1. The study covers data from **secondary sources**, which includes GST collections, taxpayer registrations, filing compliance, and composition scheme details. The collected data has been organized into tables and charts for easy comparison and analysis.
2. The method used for analysis is **descriptive and comparative**, which helps to identify trends, patterns, and changes in revenue and compliance over the years. The focus is on evaluating how GST has improved tax collection, widened the taxpayer base, and strengthened India's tax system.
3. No primary survey or interviews were conducted; the study relies completely on authentic government data to ensure accuracy and credibility.

GROWTH OF GST REVENUE IN INDIA

The GST revenue has increased steadily since its introduction in 2017. Total GST revenue grew from ₹7,40,648 crore to ₹ 22,08,861 crore with an average annual growth rate of 16.7%, proving sustained fiscal expansion under GST. Although there was a decline in 2020–21 due to the COVID-19 pandemic, the system quickly recovered with double-digit growth in subsequent years. This upward trend shows that GST has been effective in mobilizing revenue and strengthening India's indirect tax structure.

Table 1

Year-wise GST Collections in India (₹ Crore)

Financial Year	CGST	SGST	IGST	Compensation Cess	Total GST Collection	Annual Growth %	Cumulative Growth Index (Base 2017-18 = 100)
2017–18	1,18,876	1,71,803	3,87,355	62,614	7,40,648	—	100.00
2018–19	2,02,444	2,78,817	5,98,739	97,369	11,77,369	58.96	158.96
2019–20	2,27,442	3,09,231	5,86,698	98,745	12,22,116	3.80	164.97
2020–21	2,09,916	2,72,827	5,65,720	88,338	11,36,801	-6.98	153.48
2021–22	2,70,701	3,46,186	7,63,632	1,07,708	14,88,227	30.91	200.93
2022–23	3,23,923	4,10,251	9,45,220	1,28,286	18,07,680	21.46	244.12
2023–24	3,75,710	4,71,195	10,26,789	1,44,555	20,18,249	11.65	272.49
2024–25	4,13,776	5,16,448	11,25,335	1,53,303	22,08,861	9.44	298.23
CAGR (2017-18 to 2024-25)						16.70	

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

Fig 1

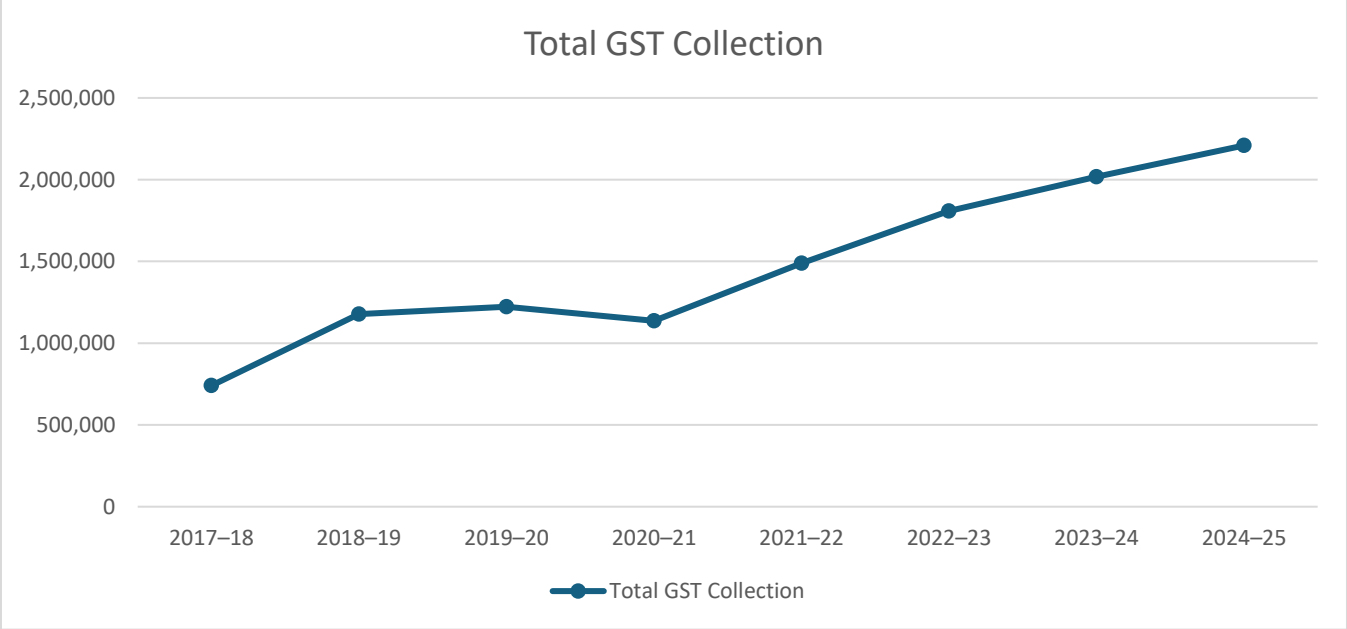

Year-wise GST Collections Trend in India (₹ Crore)

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

PERFORMANCE OF COMPOSITION SCHEME TAX PAYERS

The number of composition taxpayers has declined slightly, but the average tax paid per taxpayer has increased steadily from ₹6,749 in 2019 to ₹9,625 in 2025. This indicates that small businesses are gradually growing and contributing more. However, the fall in the number of active composition filers suggests that some very small traders still face difficulties in compliance or may have shifted to regular taxation. Simplifying return filing and providing user-friendly digital tools can further improve participation.

Table 2

Composition Scheme – Return Filing and Tax Payment Trend (2019–2025)

Financial Year	Total Returns Filed (Nos.)	Nil Returns Filed (Nos.)	No. of GSTIN Making Payments (Nos.)	Tax Paid (₹ Cr)	Average Tax per GSTIN (₹)	Change (₹)	Growth %
2019-20	56,94,440	15,86,959	41,07,481	2772	6,749		
2020-21	55,21,410	19,29,633	35,91,777	2334	6,498	-250	- 3.71
2021-22	52,18,864	22,49,025	29,69,839	2255	7,593	1,095	16.85
2022-23	48,16,851	14,26,597	33,90,254	2920	8,613	1,020	13.43
2023-24	44,87,944	12,21,637	32,66,307	2978	9,117	504	5.86

2024-25	40,33,571	9,80,044	30,53,527	2939	9,625	508	5.57

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

Table 5 shows that the total number of returns filed has gradually fallen from 56.94 lakh in 2019–20 to 40.33 lakh in 2024–25. This steady decline suggests that many small businesses might have shifted to the regular GST system, closed down, or stopped filing due to changes in their business environment or compliance pressure. A closer look at nil returns (returns filed without any business activity) also tells an important story. These jumped to 22.49 lakh in 2021–22, most likely because of the COVID-19 pandemic, when business operations were severely affected. However, after that period, nil returns reduced to 9.80 lakh in 2024–25, which indicates that many small businesses restarted their operations as the economy began to recover.

Similarly, the number of taxpayers who actually made tax payments decreased from 41.07 lakh in 2019–20 to 30.53 lakh in 2024–25, showing a reduction in the active taxpayer base. Even with fewer taxpayers, the total tax collection has remained relatively strong, it dipped during the pandemic years but later recovered, reaching ₹2,978 crore in 2023–24, before slightly reducing to ₹2,939 crore in 2024–25. What stands out most is the rise in average tax per GSTIN, which grew from ₹6,749 in 2019–20 to ₹9,625 in 2024–25. This means that although the number of taxpayers went down, those who continued under the scheme are now contributing more on average, possibly due to higher turnover or better compliance. The growth pattern also reflects this trend after a dip of –3.71% in 2020–21, there was a strong rebound in 2021–22 and 2022–23, followed by steady but moderate growth in the following years.

Fig 2

Composition Scheme – Return Filing and Tax Payment Trend

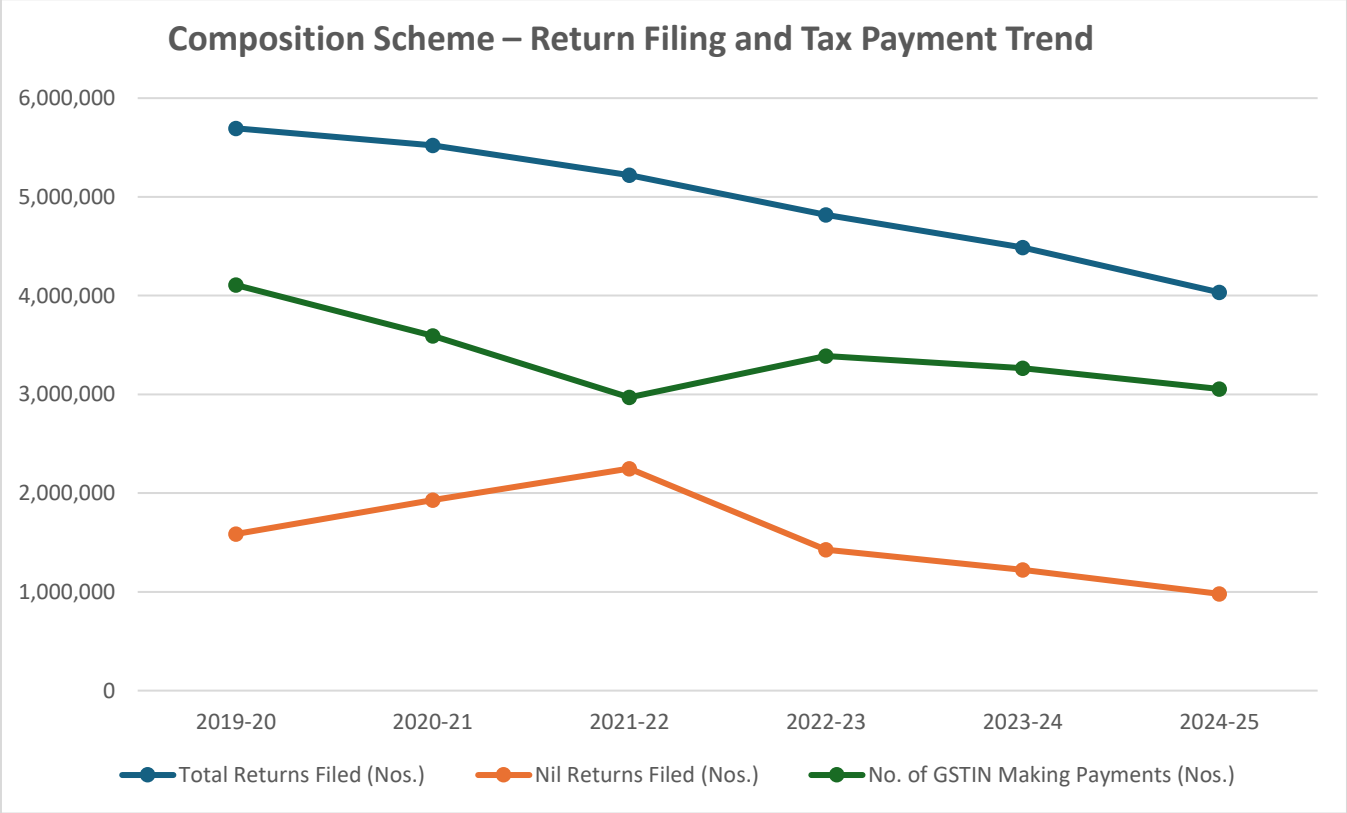

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

E-INVOICE REPORTING AND GROWTH OF E-INVOICE SYSTEMS

As of August 1, 2023, e-invoicing has become mandatory for all GST-registered businesses in India with an annual turnover of more than ₹5 crore in any financial year since 2017–18. This rule applies only to eligible transactions, and a few specific entities are exempt, no matter what their turnover is. Under this system, an invoice issued by a business covered under e-invoicing is valid only if it has an Invoice Reference Number (IRN) generated through the official e-invoicing portal. The turnover limit is calculated based on the total turnover of all GSTINs linked to a single PAN across India, including taxable sales, exempt supplies, and exports.

The government has gradually lowered the turnover threshold over time to include more taxpayers: businesses with turnover above ₹500 crore from October 1, 2020, above ₹100 crore from January 1, 2021, above ₹50 crore from April 1, 2021, above ₹20 crore from April 1, 2022, above ₹10 crore from October 1, 2022, and finally above ₹5 crore from August 1, 2023. This phased approach has helped expand digital compliance while giving smaller businesses time to adapt to the new system.

- **e-Invoice Reporting and Digital Compliance Under GST**

The table 3, shows the monthly trend of invoices reported in GSTR-1 and the proportion of those reported through the e-invoicing system. The data indicates that e-invoicing has become an important part of GST compliance, covering a large share of total transactions. In July 2024, out of 33.19 crore invoices reported in GSTR-1 with a total value of ₹37,96,364 crore, about 21.29 crore invoices worth ₹30,44,395 crore were generated through the e-invoice system, representing 64.14% of total invoices and 80.19% of total invoice value. This share remained consistently high throughout the year. In August 2024, e-invoices accounted for 66.00% of total invoices and 87.83% of value, while in October 2024, the ratio rose to 66.38% and 84.19% respectively. Even during months with slight variations, such as December 2024 (62.20% and 80.51%) and February 2025 (65.55% and 83.47%), the data still shows strong and stable adoption of the system. The peak was observed in May 2025, when 25.40 crore e-invoices valued at ₹37,74,747 crore were reported, covering 73.31% of total invoices and 90.73% of total invoice value. The steady increase in e-invoice coverage reflects that most businesses falling under the prescribed turnover limits are now fully integrated into the digital reporting framework. Overall, the figures demonstrate that e-invoicing has been effectively implemented and has significantly improved transparency, accuracy, and compliance in India's GST system.

Table 3

E-Invoice Reporting in GST System (July 2024 – June 2025)

Period	Invoice Reported in GST-R1		E-Invoice Reporting		% of E-Invoice to Total Invoices	

	No. of Invoices (Cr)	Invoice Value (₹ Cr)	No. of Invoices (Cr)	Invoice Value (₹ Cr)	No. of Invoices (%)	Invoice Value (%)
Jul-24	33.19	37,96,364	21.29	30,44,395	64.14%	80.19%
Aug-24	33.13	39,18,332	21.87	34,41,421	66.00%	87.83%
Sep-24	35.28	41,80,223	21.89	34,65,249	62.06%	82.90%
Oct-24	35.33	42,23,660	23.45	35,56,009	66.38%	84.19%
Nov-24	31.87	38,64,635	20.91	31,79,552	65.60%	82.27%
Dec-24	36.04	43,31,673	22.42	34,87,515	62.20%	80.51%
Jan-25	34.46	42,05,125	22.73	34,73,738	65.96%	82.61%
Feb-25	32.19	40,57,016	21.10	33,86,293	65.55%	83.47%
Mar-25	38.28	54,35,836	25.59	42,40,391	66.81%	78.01%
Apr-25	33.96	39,53,636	23.30	33,75,744	68.82%	85.38%
May-25	34.65	41,16,294	25.40	37,74,747	73.31%	90.73%
Jun-25	35.02	41,23,838	23.22	33,97,094	66.28%	82.38%

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

- **E-Invoice Reporting and Growth of the e-Invoice System (July 2024 – June 2025)**

Table 4 shows how the number of businesses generating and receiving e-invoices has changed over the year. The data clearly indicates steady and consistent growth in the use of the e-invoicing system under GST. In July 2024, there were 9,10,392 e-invoice generators and 78,24,560 recipients. These numbers gradually increased over the following months, showing that more taxpayers started using the system. For example, by December 2024, there were 9,28,724 generators and 80,01,657 recipients, and by March 2025, the figures rose to 9,66,321 generators and 82,26,722 recipients. The highest participation was recorded in June 2025, with 9,92,314 e-invoice generators and 81,88,778 recipients, showing that the system had achieved a wide level of adoption across businesses.

This steady increase proves that more registered taxpayers are now using digital platforms for invoicing, which helps improve accuracy and transparency in tax reporting. The growth in e-invoice users also shows that businesses are becoming more comfortable with technology-based compliance systems. Overall, the table highlights that the e-invoice system has become an important part of India's GST framework, successfully promoting digital compliance and reducing manual errors in tax reporting.

Table 4 **Fig 3**

E-Invoice Reporting and Growth of E-Invoice System (July 2024 – June 2025)

Period	E-Invoice Generators (Nos.)	E-Invoice Recipients (Nos.)
Jul-24	9,10,392	78,24,560
Aug-24	9,15,628	78,69,992
Sep-24	9,14,329	79,49,165
Oct-24	9,24,755	80,92,006
Nov-24	9,20,365	79,21,136
Dec-24	9,28,724	80,01,657
Jan-25	9,42,488	80,81,136
Feb-25	9,35,706	79,64,999
Mar-25	9,66,321	82,26,722
Apr-25	9,85,421	81,85,988
May-25	9,89,926	82,19,582
Jun-25	9,92,314	81,88,778

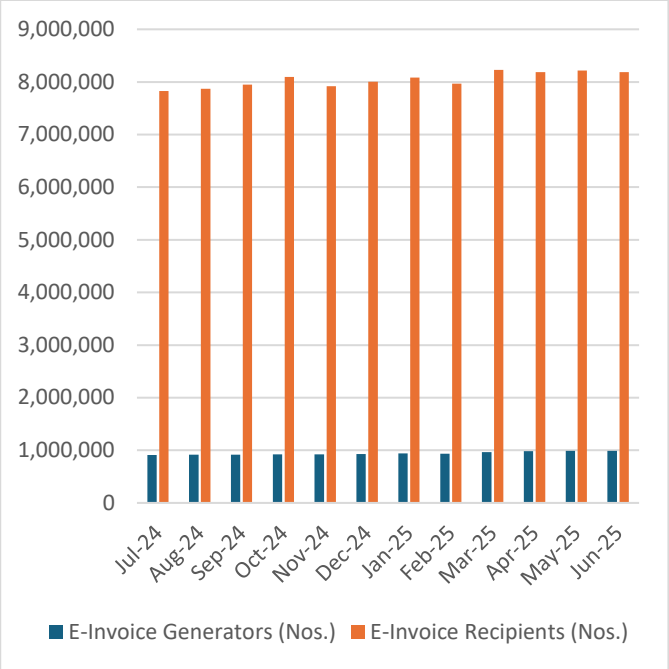

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

E-WAY BILL

Under the GST system, an E-Way Bill is needed whenever goods worth more than ₹50,000 are transported in a single invoice, bill, or delivery challan. This bill must be generated on the official website ewaybillgst.gov.in before the goods are moved.

Creating an e-way bill is simple and can be done online, through SMS, the mobile app, or by linking business systems using API integration. While generating the bill, the GSTIN of the supplier and buyer must be entered correctly. Once the e-way bill is generated, a unique E-Way Bill Number (EBN) is issued and automatically shared with all parties, the supplier, recipient, and transporter. This helps make the movement of goods more transparent, trackable, and compliant with GST rules, while reducing paperwork and chances of error.

Table 5 highlights the consistent and large-scale use of the e-way bill system across India. During this 12-month period, a total of 1,34.68 crore e-way bills were generated, which included 86.80 crore intra-state and 47.87 crore inter-state transactions. The data clearly shows that the movement of goods is being widely monitored through a digital system, reflecting strong compliance and the maturity of the GST framework.

The number of e-way bills remained above 10 crore every month, showing stable business activity and consistent taxpayer participation. The total bills increased from 10.01 crore in June 2024 to a peak of 12.45 crore in March 2025, which is typically the busiest period due to the financial year-end. This was followed by a small dip in April and a quick recovery in May 2025, confirming steady economic activity and efficient system functioning.

Table 5

Monthly E-Way Bill Generation (June 2024 – May 2025)

Month	Intra-State Bills (Nos.)	Inter-State Bills (Nos.)	Total Bills (Nos.)	Monthly Growth (%)	Cumulative Total (Nos.)
Jun-24	6,51,70,147	3,49,39,259	10,01,09,406	—	10,01,09,406
Jul-24	6,76,23,763	3,72,32,955	10,48,56,718	4.74%	20,49,66,124
Aug-24	6,76,80,697	3,77,94,379	10,54,75,076	0.59%	31,04,41,200
Sep-24	6,90,11,058	4,00,48,388	10,90,59,446	3.39%	41,95,00,646
Oct-24	7,44,59,074	4,27,92,219	11,72,51,293	7.52%	53,67,51,939
Nov-24	6,62,89,092	3,55,14,125	10,18,03,217	-13.17%	63,85,55,156
Dec-24	7,21,37,819	3,98,77,687	11,20,15,506	10.03%	75,05,70,662
Jan-25	7,60,07,883	4,21,39,990	11,81,47,873	5.47%	86,87,18,535
Feb-25	7,19,65,506	3,96,77,467	11,16,42,973	-5.50%	98,03,61,508
Mar-25	8,05,32,779	4,39,76,605	12,45,09,384	11.52%	1,10,48,70,892
Apr-25	7,70,18,024	4,22,47,935	11,92,65,959	-4.21%	1,22,41,36,851
May-25	8,01,71,617	4,24,80,786	12,26,52,403	2.84%	1,34,67,89,254

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

Table 6 shows that most e-way bills are generated through API system integration (45.2%), followed closely by website portal entry (42.1%), while mobile app, SMS, and Excel tools account for 12.6%. This indicates that many businesses have automated e-way bill generation within their systems, improving efficiency and accuracy. Smaller taxpayers continue to use the portal and mobile-based methods for convenience. Overall, the data reflects strong digital adoption and flexibility in the e-way bill generation process under GST.

Table 6

Mode of E-Way Bill Generation and Mode of Goods Transport (as of June 2025)

Mode of E-Way Bill Generation	Share (%)
Website (Portal Entry)	42.1%
API (System Integration)	45.2%
Mobile App / SMS / Excel Tools	12.6%

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

Table 7 shows that road transport dominates the movement of goods under the GST system, accounting for 98.71% of all e-way bills generated. Other transport modes like rail (0.70%), air (0.80%), and ship (0.06%) have a very small share. This indicates that India's logistics network is still heavily dependent on road transportation for goods movement, while other modes are used mainly for specific sectors such as bulk goods, exports, or high-value shipments.

Table 7

Mode of E-Way Bill Generation and Mode of Goods Transport (as of June 2025)

Mode of Transport Used for Goods Movement	Share (%)
Road	98.71%
Rail	0.70%

Air	0.80%
Ship	0.06%

Source: GST, GoI, Statistical Report on 8 Years of GST

FINDINGS

- The study shows that GST revenue in India has grown strongly since its launch in 2017. Total collections rose from ₹7,40,648 crore in 2017–18 to ₹22,08,861 crore in 2024–25, with an average annual growth rate of 16.7%. Although collections fell slightly in 2020–21 due to the COVID-19 pandemic, they quickly recovered. This steady growth shows that GST has helped the government improve tax collection and build a stronger and more efficient tax system.
- The number of composition taxpayers went down from 56.94 lakh in 2019–20 to 40.33 lakh in 2024–25, but the average tax paid per taxpayer increased from ₹6,749 to ₹9,625. This means that even though fewer small taxpayers filed returns, those who did are now paying more regularly and in larger amounts. The jump in nil returns in 2021–22 was mainly due to the pandemic, but numbers improved later as businesses recovered and became more active again.
- E-invoicing has become a key part of GST compliance. Between July 2024 and June 2025, about 65% to 73% of invoices were generated through the e-invoicing system, covering over 80% of the total invoice value. More than 9 lakh businesses generated e-invoices and around 80 lakh received them each month. This steady usage shows that most businesses have adopted digital systems, which has made tax reporting more transparent and reliable.
- The e-way bill system is now an essential part of India's trade network. From June 2024 to May 2025, over 1.34 crore e-way bills were generated — 86.80 crore intra-state and 47.87 crore inter-state. Each month, more than 10 crore bills were created, peaking at 12.45 crore in March 2025. This shows stable business movement and high levels of compliance across sectors.
- Most e-way bills were created through API system integration (45.2%) and website portal entry (42.1%), while mobile app, SMS, and Excel tools were used for 12.6% of bills. This shows that larger businesses now use automated systems for faster processing, while smaller traders still use simpler online and mobile options.
- Almost all goods under GST move by road (98.71%), while rail (0.70%), air (0.80%), and ship (0.06%) play a very small role. This shows that India's logistics sector still depends mainly on road transport, and there is potential to use other modes more effectively in the future.

CONCLUSION

In conclusion, the study shows that the Goods and Services Tax (GST) has played a major role in improving India's tax system by making it more transparent, efficient, and digitally driven. GST revenue has grown steadily over the years, proving its success in expanding the tax base and strengthening fiscal performance. The adoption of digital tools like e-invoicing and e-way bills has improved compliance,

reduced errors, and brought greater accountability in business transactions. Although some challenges remain—such as the decline in small taxpayers under the composition scheme and the continued dependence on road transport—the overall impact of GST has been highly positive. It has modernized India's indirect tax system, encouraged digital compliance, and helped create a more organized and transparent economy.

REFERENCES

1. Garg, S., Narwal, K., & Kumar, S. (2023). *Goods and service tax and its implications on revenue efficiency of sub-national governments in india: an empirical analysis. American Journal of Business, 38*(4), 193-210. https://doi.org/10.1108/ajb-09-2022-0144

2. Deshmukh, A., Mohan, A., & Mohan, I. (2022). *Goods and services tax (gst) implementation in india: a sap–lap–twitter analytic perspective. Global Journal of Flexible Systems Management, 23*(2), 165-183. https://doi.org/10.1007/s40171-021-00297-3

3. Chakraborty, M. (2024). *A study on the perceptions of the msme owners of selective districts of west bengal on goods and service tax. Asian Journal of Management and Commerce, 5*(1), 133-138. https://doi.org/10.22271/27084515.2024.v5.i1b.251

4. Bhalla, N., Sharma, R., & Kaur, I. (2023). *Effect of goods and service tax system on business performance of micro, small and medium enterprises. Sage Open, 13*(2). https://doi.org/10.1177/21582440231177210

5. Basavarajaiah, D., Arunkumar, H., Keerthana, P., Kumar, G., & Narasimhamurthy, B. (2022). Perception level of gst (goods and services taxes): *a pilot based survey. Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities, 10*(2), 78-84. https://doi.org/10.34293/sijash.v10i2.5242

6. Garg, S., Narwal, K., & Kumar, S. (2024). *Application of theory of planned behavior on determinants of gst compliance behavior of gst taxpayers: an empirical study from india. Journal of Tax Reform, 10*(1), 134-148. https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.161

7. Garg, S., Narwal, K., & Kumar, S. (2024). *Investigating the compliance behavior of gst taxpayers: an extension to theory of planned behavior. Journal of Public Affairs, 24*(3). https://doi.org/10.1002/pa.2936

8. Ray, S. (2020). Empirical study on people's perception regarding introduction of gst in india. RHSS. https://doi.org/10.7176/rhss/10-13-05

9. Neog, Y. and Gaur, A. (2020). *Tax structure and economic growth: a study of selected indian states. Journal of Economic Structures, 9*(1). https://doi.org/10.1186/s40008-020-00215-3

10. Chawla, I. (2020). *One nation, one tax: how the goods and services tax (gst) have impacted the indian economy. International Journal of Research in Engineering Science and Management, 3*(11), 141-144. https://doi.org/10.47607/ijresm.2020.391

11. Pandey, A., Saxena, N., & Paliwal, U. (2023). *Perceptions of the textile industry stakeholders on a multi-slab goods and services tax system in india. Research Journal of Textile and Apparel, 29*(1), 149-161. https://doi.org/10.1108/rjta-04-2023-0046
12. LLESHAJ, A., Koçi, D., & Lleshaj, L. (2022). *The impact of tax control on tax revenues: an aggregate metric analysis of the case of albania. International Journal of Applied Economics Finance and Accounting, 14*(1), 34-41. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.637
13. Shacheendran, V. (2024). *An analysis of gst barriers faced by business owners in india: an ism approach. Metamorphosis, 23*(1), 46-61. https://doi.org/10.1177/09726225241247353
14. Garg, S., Narwal, K., & Kumar, S. (2024). *Building the empirical puzzle on impact of macroeconomic determinants on gst revenue: an empirical investigation via ardl bound test perspective. Journal of Public Affairs, 24*(3). https://doi.org/10.1002/pa.2947
15. Goods and Services Tax Network. (2024). *Statistical Report on Completion of 8 Years of GST. Government of India.* Retrieved from https://www.gst.gov.in/download/gststatistics

Opportunities and Challenges of GST for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India.

NAVEEN RAI

Assistant Professor Economics
Govt. Model Science College Rewa (M.P.)
Email- littleraibhu91@gmail.com

Abstract-

The introduction of the Goods and Services Tax (GST) in India marked a major structural reform designed to unify the indirect taxation system. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which represent a vital component of India's productive and employment base, have been significantly affected by GST. This paper analyses the opportunities and challenges posed by GST for MSMEs by drawing upon government reports, scholarly literature, and empirical insights. While GST offers opportunities such as reduced cascading tax effects, streamlined interstate trade, formalization, and simplified tax regimes, MSMEs continue to face barriers related to compliance costs, digital literacy, cash-flow constraints, and the complexities of tax filing. The paper concludes with policy recommendations to enhance the effectiveness of GST for supporting MSME growth.

1. Introduction-

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in India's economic development, contributing substantially to manufacturing output, employment generation, and exports (RBI, 2022). The implementation of the Goods and Services Tax (GST) in July 2017 was intended to simplify India's complex indirect tax structure and create a unified national market. GST subsumed various central and state taxes, thereby promising a more efficient tax system and improved ease of doing business (Ministry of Finance, 2021).

Despite these objectives, the transition to GST resulted in mixed outcomes for MSMEs. Scholars have noted that although GST harmonized the tax regime and reduced logistics bottlenecks, small firms—particularly micro enterprises—faced challenges in meeting compliance requirements and adapting to digital procedures (Goyal, 2020; Panda & Sharma, 2021). This paper provides a detailed, evidence-based analysis of the opportunities and challenges of GST for MSMEs, offering insights for policymakers and practitioners.

2. Literature Review-

Research on GST's effects on MSMEs has largely focused on three areas: formalization, compliance burden, and competitiveness. Mukherjee (2019) finds that GST's input tax credit (ITC) mechanism reduced cascading taxes, particularly benefiting manufacturing MSMEs. Studies also suggest that GST enhanced market efficiency by reducing inter-state barriers (Bansal & Singh, 2021).

However, several authors highlight significant implementation challenges.

Kaur and Sood (2022) argue that the digital nature of GST created difficulties for enterprises lacking technological infrastructure.

Panda and Sharma (2021) find that MSMEs experience disproportionately high compliance costs relative to turnover, affecting profitability.

The GST Council (2020) acknowledges these issues and has made periodic adjustments to simplify the regime for small taxpayers.

Overall, the literature suggests that GST has long-term potential to strengthen MSMEs, despite short-term transition costs and operational challenges.

3. Opportunities for MSMEs Under GST-

3.1 Reduction of Cascading Taxes-One of the most important advantages of GST is the elimination of cascading taxes through the ITC mechanism. Under the previous tax regime, MSMEs often paid tax on inputs without the ability to claim full credits, leading to inflated costs. GST's seamless ITC allows firms to deduct taxes on inputs from their tax liabilities, reducing production costs and increasing competitiveness (Bansal & Singh, 2021; Mukherjee, 2019). This is especially valuable in value-added manufacturing and multi-layer supply chains.

3.2 Creation of a Unified National Market-

Before GST, interstate trade was hindered by entry taxes, octroi, and significant paperwork at state borders. GST removed these barriers, facilitating smoother interstate movement of goods and enabling MSMEs to expand beyond local or regional markets (Ministry of Finance, 2021). This removal of trade friction lowers logistics costs and improves supply-chain efficiency, thereby helping MSMEs integrate into national and global markets (GST Council, 2020).

3.3 Enhanced Formalization and Access to Credit-

GST promotes formalization by incentivizing firms to register in order to avail ITC and participate in formal supply chains. Formalization enhances MSMEs' credibility and transparency, which banks consider when assessing creditworthiness (World Bank, 2020). As a result, GST indirectly supports improved access to institutional finance, procurement contracts, and export opportunities.

3.4 Simplified Tax Regimes for Small Businesses

The Composition Scheme allows eligible MSMEs to pay tax at a lower rate with minimal compliance requirements. This reduces administrative burden and encourages voluntary compliance (Clear Tax, 2023). Quarterly return filing options and simplified forms introduced over time also help micro and small firms manage their tax obligations with fewer resources (CBIC, 2019).

4. Challenges Faced by MSMEs Under GST-

4.1 High Compliance Burden-

Despite simplifications, MSMEs frequently report high compliance costs, including costs of accounting software, professional assistance, and employee training (Panda & Sharma, 2021). GST requires regular

filing of returns, invoice reconciliation, and digital invoice management, which can be complex for enterprises with limited administrative capacity. Studies show that micro enterprises spend a disproportionate amount of time and money on compliance relative to larger firms (Goyal, 2020).

4.2 Technological and Digital Literacy Barriers-

GST is highly IT-driven. Digital return filing, e-invoicing (for larger MSMEs), and online reconciliations require familiarity with accounting software and stable internet access. MSMEs in rural and semi-urban areas often face limited digital infrastructure, creating barriers to compliance (Kaur & Sood, 2022). Lack of trained personnel further amplifies these difficulties.

4.3 Cash-Flow Challenges Due to ITC Delays-

The ITC mechanism, although beneficial, also creates a dependency on suppliers' tax compliance. If suppliers fail to upload invoices or file returns on time, MSMEs may temporarily lose access to ITC, affecting working capital (Bansal & Singh, 2021). For small firms with thin margins, such delays can disrupt operations and liquidity.

4.4 Procedural Complexity and Fear of Penalties-

Frequent changes in GST rules and notifications create confusion among small taxpayers. MSMEs have reported concerns about notices, audits, and fear of penalties for unintentional errors (Panda & Sharma, 2021). The compliance environment can feel intimidating for firms lacking legal and financial expertise.

5. Policy Recommendations-

5.1 Further Simplification of Tax Filing Requirements-

Government agencies should expand simplified return forms and enhance the threshold for quarterly filing. MSMEs would benefit from uniform, predictable procedures and reduced documentation (GST Council, 2020).

5.2 Support Digital Capacity Building-

Subsidized accounting software, digital literacy programs, and GST facilitation centres would help MSMEs bridge technological gaps. Public–private partnerships can scale training in regional languages (World Bank, 2020).

5.3 Improve ITC Processing and Reduce Cash-Flow Friction-

Automatic, provisional ITC—even when invoices are delayed—would ease liquidity constraints. Clearer guidelines on invoice reconciliation and reduced blocking of credits would support small firms (Mukherjee, 2019).

5.4 Strengthen Grievance Redressal for MSMEs-

A fast-track mechanism for dispute resolution and proportionate enforcement—especially for micro enterprises—would reduce fear and compliance stress among taxpayers (RBI, 2022).

6. Conclusion-

GST is one of the most significant tax reforms in India, and its implications for MSMEs are profound. While the reform has achieved benefits such as reduced cascading taxes, enhanced market integration, and increased formalization, MSMEs continue to face operational and compliance-related challenges. These challenges are especially acute for micro-enterprises, which often lack administrative infrastructure and digital literacy.

The long-term success of GST for MSMEs depends on continuous simplification, targeted training, improved ITC management, and responsive tax administration. With appropriate reforms and capacity-building measures, GST can become a powerful enabler of MSME growth, competitiveness, and integration into national and global value chains.

References -

1. Bansal, S., & Singh, R. (2021). Impact of Goods and Services Tax (GST) on MSMEs in India: Opportunities and challenges. International Journal of Management Research and Business Strategy, 10(2), 45–58.
2. Central Board of Indirect Taxes and Customs. (2019). GST sectoral report for MSMEs. Government of India.
3. Clear Tax. (2023). GST composition scheme: Rules, turnover limit, and applicability. Clear Tax India.
4. Goyal, A. (2020). GST implementation in India: Issues and challenges faced by small enterprises. Journal of Business and Economic Policy, 7(1), 12–22.
5. GST Council. (2020). GST annual report. Government of India.
6. Kaur, P., & Sood, R. (2022). Goods and Services Tax and its implications on small and medium enterprises. Indian Journal of Accounting, 54(1), 98–112.
7. Ministry of Finance. (2021). GST: A milestone in India's tax reform journey. Government of India.
8. Mukherjee, S. (2019). Goods and Services Tax in India: Impact on the manufacturing sector (Working Paper No. 2019-03). National Institute of Public Finance and Policy.
9. Panda, S., & Sharma, D. (2021). Tax compliance burden on MSMEs under GST regime. Asia-Pacific Journal of Management and Technology, 2(3), 56–67.
10. Reserve Bank of India. (2022). Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises. RBI.
11. World Bank. (2020). India's MSME financing gap

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभावः एक राजनीतिक विश्लेषण

इन्द्र बहादुर सिंह
सहायक प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय जैतपुर, जिला– शहडोल (म.प्र.)

शोध सारांश–

जीएसटी भारत के आर्थिक इतिहास में 2017 के बाद का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार माना जाता है। जीएसटी परिषद के गठन और सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, यह अध्ययन जीएसटी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक, आर्थिक और संघीय प्रभाव की गहन समीक्षा प्रस्तुत करता है। अनुसंधान दर्शाता है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024–25 में ₹22.08 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रहण हुआ। साथ ही, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण तेजी से हुआ है, जिससे 66.5 लाख से 1.51 करोड़ तक जीएसटी करदाताओं की संख्या बढ़ गई है। किंतु, केंद्र–राज्य राजस्व विवाद, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न, और अनुपालन की जटिलताएं अभी भी कायम हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से, जीएसटी सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच निरंतर विवाद का विषय बना हुआ है। सितम्बर 2025 में घोषित जीएसटी 2.0 सुधार जिसमें चार–स्तरीय दरों को सरल करके दो–स्तरीय (5ः और 18ः) संरचना बनाई गई है अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर सकता है।

मुख्य भाब्दः– जीएसटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, संघीयता, कर संग्रहण, राजनीतिक विमर्श, राजस्व विभाजन

प्रस्तावना–

भारत में 2017 से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यधिक विखंडित और जटिल थी। केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर, और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, और अन्य अप्रत्यक्ष करों ने व्यापार प्रक्रिया को अत्यंत बोझिल बना दिया था। इसके परिणामस्वरूप, cascading effect (कर पर कर) की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती थीं और व्यापारियों की कार्यप्रणाली अकुशल हो जाती थी।

1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत इन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार ने ''एक देश, एक कर'' की नीति को व्यावहारिक रूप से लागू किया, जिससे देश को एक समान कर बाजार में बदल दिया गया। परंतु, इसके साथ ही केंद्र–राज्य संबंधों, संघीय संतुलन, और राजनीतिक विमर्श में गहरे परिवर्तन आए।

यह शोध पत्र जीएसटी के आठ वर्षों के कार्यकाल का विश्लेषण करते हुए इसके आर्थिक, राजनीतिक और संघीय प्रभावों को समग्रता से प्रस्तुत करता है।

शोध उद्देश्य–

1. जीएसटी के कार्यान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं?

2. जीएसटी के कारण केंद्र–राज्य संबंधों और संघीय संरचना में क्या परिवर्तन आए हैं?

3. राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व वितरण के मुद्दों को जीएसटी ने कैसे प्रभावित किया है?

4. जीएसटी के कार्यान्वयन में कौन–कौन सी चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या है?

5. राजनीतिक दलों के बीच जीएसटी को लेकर क्या विमर्श चल रहा है?

जीएसटी के आर्थिक प्रभाव–

जीएसटी लागू होने के बाद से भारत में कर संग्रहण में निरंतर वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार के पीआईबी के अनुसार, वर्ष 2024–25 में कुल जीएसटी संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह जीएसटी के इतिहास में सर्वोच्च मासिक संग्रहण है। वहीं, जीएसटी करदाता आधार वर्ष 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गया है, जो 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

राजस्व अनुसंधान केंद्र के 2025 के शोध में पाया गया कि जीएसटी के कारण भारत की जीडीपी में 0. 2 से 0.3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। जीएसटी ने अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां पहले बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लेनदेन करता था, वहीं अब अधिकांश व्यवसायी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।

संघीय संरचना पर प्रभाव–

जीएसटी परिषद भारतीय संघवाद का एक अद्वितीय संस्थान है। यह परिषद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित की गई थी और अनुच्छेद 279। में वर्णित है। परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), राज्यों के वित्त मंत्री और दो अन्य सदस्य होते हैं। मतदान में केंद्र को एक–तिहाई वजन और सभी राज्यों को मिलकर दो–तिहाई वजन दिया जाता है।

हालांकि, वास्तविक व्यावहारिक स्तर पर, केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका और अधिकांश राज्यों में समान राजनीतिक दल की सत्ता होने के कारण, जीएसटी परिषद में निर्णय प्रायः सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिससे विपक्षी राज्यों की आवाज दब जाती है।

राजस्व विभाजन और मुआवजे का मुद्दा–

जीएसटी के प्रारंभिक वर्षों में, राज्यों के राजस्व में गिरावट आने पर केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति कर का प्रावधान किया। यह बमे 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। 2020 में कोविड–19 महामारी के दौरान जब राज्यों को क्षतिपूर्ति नहीं मिला, तब केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने केंद्र के खिलाफ कड़ी आपत्तियां दीं। सितंबर 2025 में, जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत क्षतिपूर्ति करे को समाप्त कर दिया गया, जिससे विपक्षी राज्यों में असंतोष व्यक्त हुआ।

जीएसटी की संरचना और विकास–

भारत में जीएसटी की संरचना दोहरी है– यह केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एस जीएसटी) और अंतर–राज्य जीएसटी (आईजीएसटी) के सिद्धांत पर आधारित है। इस तीन–स्तरीय संरचना का उद्देश्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों को कर संग्रहण में हिस्सेदारी मिले।

पहली बार (2017–2025) तक, भारत में चार–स्तरीय जीएसटी दर संरचना थीः

- 5 प्रतिशत (आवश्यक वस्तुएं)
- 12 प्रतिशत (मध्य–श्रेणी की वस्तुएं)
- 18 प्रतिशत (सामान्य वस्तुएं और सेवाएं)
- 28 प्रतिशत (विलासिता की वस्तुएं)

जीएसटी 2.0: सितम्बर 2025 का ऐतिहासिक सुधार

सितंबर 2025 में, जीएसटी परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें चार–स्तरीय दर संरचना को सरल करके मुख्य रूप से दो–स्तरीय (5 प्रति'ात और 18 प्रति'ात) संरचना में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त

- विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू की गई।
- छोटी कार, दुपहिया वाहन और अन्य उपभोक्ता उपभोग्य पर दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गईं।
- खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य बीमा और अन्य आवश्यक सेवाओं पर दरें घटाई गईं।

यह सुधार अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने, अनुपालन को सरल बनाने और जीडीपी वृद्धि को त्वरित करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस सुधार से जीडीपी में 0.2 से 0. 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है, किंतु सरकार को लगभग ₹48,000 करोड़ की अल्पकालीन राजस्व हानि का सामना करना पड़ सकता है।

जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव

1. कर संग्रहण में वृद्धि

जीएसटी लागू होने से पहले, भारत का कर–से–जीडीपी अनुपात विश्व के अधिकांश देशों से कम था। जीएसटी के बाद

- वर्ष 2017–18रू ₹7.41 लाख करोड़
- वर्ष 2020–21रू ₹11.37 लाख करोड़
- वर्ष 2024–25रू ₹22.08 लाख करोड़

यह तीन गुणा से अधिक वृद्धि दर्शाता है। महीने दर महीने देखें तो सितंबर 2025 में संग्रहण ₹1.89 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में उच्च है।

2. अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण

जीएसटी करदाता आधार में विस्फोटक वृद्धि हुई है। 2017 में 66.5 लाख पंजीकृत करदाता से यह संख्या बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गई है। यह 127 प्रतिशत की वृद्धि दर है। इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक क्षेत्र में आ गया है।

3. डिजिटल तकनीक का प्रयोग

E-way bill, E-invoice और डिजिटल रिटर्न फाइलिंग जैसी तकनीकी प्रणालियों ने जीएसटी को अधिक पारदर्शी और कुशल बना दिया है। अप्रैल 2025 से, E-invoicing सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य कर दी गई, जिससे कर अपवंचन में कमी आई है।

4. व्यापार और लॉजिस्टिक्स में सुधार–

जीएसटी से पहले, राज्यों की सीमाओं पर व्यापार बाधा डाली जाती थी। जीएसटी के बाद, अंतर–राज्य व्यापार को बढ़ावा मिला है। परिवहन समय में 33 प्रतिशत की सुधार आया है। व्यवसायियों को अब प्रत्येक राज्य में अलग से गोदाम रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला संभव हो गई है।

5. जीडीपी वृद्धि–

विभिन्न शोधों के अनुसार, जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को 0.9 से 1.7 प्रतिशत तक की वृद्धि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी 2.0 सुधारों से अतिरिक्त 0.2 से 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

जीएसटी की नकारात्मक चुनौतियां

1. राज्यों के राजस्व में गिरावट–

जीएसटी के पहले कुछ वर्षों में, विशेषकर कर–प्रदान राज्यों को राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ा। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य औद्योगिक राज्यों को महत्वपूर्ण राजस्व हानि हुई।

2. अनुपालन की जटिलता–

छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए जीएसटी अनुपालन अत्यंत जटिल साबित हुआ है। मासिक रिटर्न, E-invoice, E-way bill, का मिलान – ये सभी प्रक्रियाएं तकनीकी रूप से जटिल हैं और MSMEs को सलाहकारों पर खर्च करना पड़ता है।

3. डिजिटल विभाजन–

ग्रामीण और आंध्र क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी जीएसटी अनुपालन में बाधा बनी हुई है। कई छोटे व्यवसायी जीएसटी पोर्टल का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं।

4. राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का क्षरण–

जीएसटी परिषद के गठन से राज्यों की कर स्वायत्तता को एक सीमा तक स्थानांतरित कर दिया गया। राज्यों को अब अपनी दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह संघीय संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है।

5. मुद्रास्फीति पर अनिश्चित प्रभाव

जीएसटी दरों में परिवर्तन से मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है। हालांकि सरकार का दावा है कि जीएसटी 2.0 से मुद्रास्फीति में कमी आएगी (50 से 90 आधार बिंदु तक), किंतु इसका वास्तविक प्रभाव अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

राजनीतिक विमर्श के दृष्टिकोण–

सत्ताधारी दल की स्थिति

सरकार जीएसटी को एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में प्रस्तुत करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी 2.0 को ''दिवाली का तोहफा'' कहा है। सरकार का तर्क है कि जीएसटी सेः

- देश को एक समान बाजार मिला है।
- कर अपवंचन में कमी आई है।
- अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण हुआ है।
- निवेश आकृष्ट हुआ है।

विपक्षी दलों की आलोचना

1. देरी से आया सुधार कांग्रेस का कहना है कि यदि जीएसटी 2.0 इतना अच्छा था, तो इसे आठ साल पहले क्यों लागू नहीं किया गया?

2. राज्यों को राजस्व हानि विपक्ष का तर्क है कि जीएसटी के कारण राज्यों को महत्वपूर्ण राजस्व हानि हुई है, जिससे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ी।

3. अनुपालन का बोझ छोटे व्यवसायियों, किसानों और दुकानदारों पर अनुपालन का अत्यधिक बोझ पड़ा है।

4. केंद्र का प्रभुत्व जीएसटी परिषद में केंद्र के प्रभुत्व के कारण राज्यों की स्वायत्तता कम हुई है।

संघीय संतुलन और केंद्र–राज्य संबंध

Cooperative Federalism की चुनौती

जीएसटी परिषद सहयोगात्मक संघवाद का एक मॉडल माना जाता है। हालांकि, व्यावहारिक रूप सेः

1. केंद्र का प्रभुत्व अधिक है
2. विपक्षी राज्यों की आवाज दब जाती है
3. सर्वसम्मति की परंपरा टूटने लगी है

उदाहरण के लिए, जीएसटी 2.0 सुधारों में विपक्षी राज्यों ने क्षतिपूर्ति कर की मांग की, किंतु यह मांग स्वीकार नहीं की गई।

एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव–

जीएसटी ने भारत के लाखों छोटे दुकानदारों, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं के लिए अनुपालन को एक बड़ी चुनौती बना दिया हैः

- तकनीकी बाधाएंः जीएसटी पोर्टल पर त्रुटियां, सर्वर लैग, और टेकनिकल
- वित्तीय बोझः सलाहकारों,सॉफ्टवेयर, और प्रशिक्षण के खर्च
- समय की बर्बादीः रिटर्न फाइलिंग, आईटीसी का मिलान, और विवाद समाधान में समय लगता है
- कार्यशील पूंजी में कमीः आईटीसी के दावे में देरी से बीी सिवू पर असर पड़ता है

अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिकीकरण

दूसरी ओर, जीएसटी ने भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2025 में सरकार ने अनौपचारिक व्यवसायों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह औपचारिकीकरण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और ऋण तक पहुंच प्रदान कर सकता है।

जीएसटी की चुनौतियों के समाधान

1. तकनीकी सुधार

ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोगः ब्लॉकचेन से जीएसटी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाया जा सकता है। ITC के दावे, रिफंड प्रबंधन और धोखाधड़ी की रोकथाम में ब्लॉकचेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

2. **अनुपालन को सरल बनाना**

- जीएसटी पोर्टल में निरंतर सुधार
- Pre–filled return की सुविधा को बढ़ाना
- E-invoicing की सीमा को धीरे–धीरे लागू करना

3. **राज्यों की वित्तीय चिंताओं का समाधान–**

- एक निष्पक्ष राजस्व बंटवारा सूत्र विकसित करना
- जीएसटी परिषद में राज्यों को अधिक निर्णय लेने की शक्ति देना
- हस्तांतरण को सुदृढ़ करना

4. **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को क्रियाशील बनाना–**

वर्तमान में, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण सभी राज्यों में पूरी तरह क्रियाशील नहीं है। इससे विवादों का समाधान में देरी होती है और व्यवसायों की पूंजी अवरुद्ध रहती है।

5. **राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करना**

जीएसटी 2.0 से अल्पकालीन राजस्व हानि की संभावना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि–

- उपभोग में वृद्धि से राजस्व की भरपाई हो
- कर आधार में और विस्तार हो
- कर अनुपालन में सुधार जारी रहे

निष्कर्ष

जीएसटी भारत के आर्थिक इतिहास में एक मौलिक सुधार है। इसने देश को एक समान कर बाजार प्रदान किया है, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण किया है, और सरकारी राजस्व में तीन गुणा वृद्धि की है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से कर अपवंचन में कमी आई है और व्यापार संचालन सरल हुआ है।

किंतु, जीएसटी के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हैं। केंद्र–राज्य राजस्व विवाद, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न, अनुपालन की जटिलता, और राजनीतिक विमर्श की कटुता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीर विचार की आवश्यकता है।

सितंबर 2025 में घोषित जीएसटी 2.0 सुधार एक सकारात्मक कदम है, जो अनुपालन को सरल बनाता है और उपभोग को बढ़ावा देता है। किंतु इस सुधार की दीर्घकालीन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार राज्यों की चिंताओं को कितनी गंभीरता से लेती है और संघीय संतुलन को कितना सम्मान देती है। सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करना,डिजिटल साक्षरता बढ़ाना,अनुपालन को सरल बनाना,राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सम्मान देना, तकनीकी नवाचार का प्रयोग करना। भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग तभी सुगम होगा जब जीएसटी सुधार केंद्र–राज्य के बीच संवाद, सहयोग और साझी जिम्मेदारी के आधार पर आगे बढ़े।

संदर्भ सूची

1. Vasanthagopal, R. (2011). GST In India: A Big Leap in the Indirect Taxation System. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(2), 144–146. https://oldror.lbp.world/UploadArticle/162.pdf

2. Sehrawat, M., & Dhanda, U. (2017). GST in India: A Key Tax Reform. International Journal of Research – Granthaalayah, 3(12), 133–141. https://doi.org/10.5281/zenodo.848961

3. Hansraj, K. (2022). भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव- Social Research Foundation. https://socialresearchfoundation.com/ भारतीय–अर्थव्यवस्था–पर–जीएसटी–का–प्रभाव

4. Namasivayam, S. P. A., & Ramprakash, S. (2017). Impact of GST in India. Journal of Management and Science, 7(2), 297–300.

5.Deshmukh, A. K. (2022). Goods and Services Tax (GST) Implementation in India. Journal of Economic Analysis & Policy, 15(1), 62–85.

6. Gupta, K. A. (2023). Goods and Service Tax Emplimantation in India. International Journal of Management, Public Policy and Research, 2(2), 107–118.

7. Impact of GST on the Indian Economy. (2025, February 3). ClearTax. https://cleartax.in/s/impact-of-gst-on-the-indian-economy

8. PIB. (2015). जीएसटी सुधार 2025 आम आदमी के लिए राहत, व्यवसायों के लिए बढ़ावा. Press Information Bureau. https://pib.gov.in/GST-Improvement-2025-Common-Man-Businesses

9. Impact of GST on the Indian economy. (2023, April 16). Blog iPleaders. https://blog.ipleaders.in/impact-of-gst-on-the-indian-economy/

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीन मानक संचरण में जीएसटी की भूमिका

पूजा शुक्ला
शोधार्थी वाणिज्य
स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

डॉ. अनीता शुक्ला
अतिथि विद्वान
शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर, शहडोल (म.प्र.)

डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा
अतिथि विद्वान
शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर, शहडोल (म.प्र.)

सारांश :–

प्रस्तुत शोध आलेख भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीन मानक संचरण में जीएसटी की भूमिका कर प्रणाली में आये नये बदलावों के प्रतिपूर्तियों का समकालीन प्रभाव का अध्ययन है। समान भारतीय बाज़ार निर्मित करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर कर के व्यापक प्रभाव को कम करने के ज़रिए जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक सुधार होगा । यह कर संरचना कर – समीक्षा, कर परिकलन, कर भुगतान, अनुपालन, क्रेडिट (साख) के उपयोग एवं विवरण को प्रभावित करेगी और वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सम्पूर्ण कायापलट की ओर जीएसटी के मोर्चे पर प्रभावी पहल की गयी है। संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना और साथ ही मॉडल/नमूना जीएसटी कानूनों का जारी होना, जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के दृढ़ निश्चय मेक इन इंडिया परियोजना की प्रबल नीति–भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनने रोज़गार रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। जीएसटी पारम्परिक अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण को नई गति और दिशा प्रदान करती है देनदारी की कैश को डिजिटल रूपान्तरण से आने वाली असुविधाओं से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जीएसटी की मानक नीतियां प्रभावशाली हैं जैसे–जैसे उपभोक्ता इन मुकामों से जुड़ेगा अर्थनीति में नवाचार तीव्रता के साथ गतिशील होगा जिससे देश को वैश्विक मंच में साझेदारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

बीज शब्द :–भारतीय, अर्थव्यवस्था, नवीन, मानक, संचरण, जीएसटी, प्रणाली प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कर आदि।

प्रस्तावना :–

वर्तमान बहु स्तरीय कर संरचना में राज्यों एवं केन्द्र सरकार के अलग–अलग शुल्क हैं, जो करों के व्यापाक प्रभाव की ओर ले जाते हैं। इसमें विभिन्न दरों एवं विभिन्न बिन्दुओं पर कर विद्यमान हैं। केन्द्र के पास आय कर, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क एवं सुरक्षा लेन–देन कर जैसे कर हैं जबकि राज्य स्तर पर वैट या बिक्री कर, चुंगी, राज्य उत्पाद शुल्क संपत्ति कर, प्रवेश कर एवं कृषि कर लागू हैं। ये कर घरेलू बाजारों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी मूल्यों और बिक्री को प्रभावित करते हुआ भारतीय उत्पादों पर बढ़े हुए कर के बोझ की ओर ले जाते हैं।

इसके समाधान के लिए, 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधाल–मंडलों के अनुसमर्थन के पश्चात भारत वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है।

जीएसटी को इस बिन्दु तक ले आने में देश ने कितना कुछ हासिल किया है; इसकी सराहना करने में हम कभी–कभार कंजूसी कर जाते हैं। जीएसटी के लिए कार्य करने का श्रेय, केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर सभी हितधारकों को दिया जाना चाहिए । यह समय इस ऐतिहासिक अवसर को साथ मिलकर भुनाने के लिए एकदम अनुकूल है क्योंकि जीएसटी निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरी के लिए बदलाव लाएगा।

विनिर्माताओं को प्रतिकूलत रूप में प्रभावित करती है, निवेश की लागत उत्पादन से अधिक हो जाती है। यह उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करता है। जीएसटी या तो बेतरतीब शुल्क संरचना को समाप्त कर देगा या फिर संचित क्रेडिट को वापस देने की स्वीकृति देगा।

जीएसटी आपूर्ति श्रृंखला के सुप्रवाही बनने के माध्यम से परिचालन क्षमता में परिणत है, जो अकेले भारतीय दवा क्षेत्र का आकार 2 प्रतिशत बढ़ा सकती है। चूंकि जीएसटी दवा कंपनियों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला को युक्ति संगत बनाने में सहायता कर उन्हें अपने वितरण तंत्र को एक नया आयाम दिया है।

इसके अतिरिक्त जीएसटी का कार्यान्वयन कर–समंजन के एक निर्बाध प्रवाह का ध्यान रखते हुए यह संपूर्ण अनुपालन में सुधार के लिए उत्तरदायी है तथा भारत में दवा कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने वाली एक जमीन भी तैयार कर रहा है।

एकल, केंद्रीकृत पंजीकरण अनुपालन की बजाय कई राज्यों में अनुपालन का अनुसरण करना अपेक्षित हो सकता है। भारत में ज्यादातर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं 14.5 प्रतिशत की दर पर सेवा कर अधीन हैं; जबकि जीएसटी के 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अतः इन सेवाओं के महंगे होने की संभावना है। जीएसटी चीजों को बोझिल बना सकता है। क्योंकि वित्तीय सेवा प्रदाताओं को वर्तमान साथ ही, चूंकि जीएसटी एक लक्ष्य आधारित कर है, कुछ सेवाओं के लक्ष्य निर्धारित करना एक चुनौती हो सकता है ।

वस्तुओं पर आम तौर से 12.5 प्रतिशत (उत्पाद शुल्क) जमा 5.15 प्रतिशत की दर से कर योग्य है जो निरापवाद रूप से अंतिम उपभोक्ता को चुकाना होता है। यदि जीएसटी की मानक दर रूप से कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खरीद लागत घटेगी और लाभ का कुछ हिस्सा इस श्रृंखला के अंत तक भी पहुंचेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसमें 55 प्रतिशत वस्तुएं कर से मुक्त हैं, 32 प्रतिशत वस्तुएं काफी कम दर पर और केवल 12 प्रतिशत वस्तुएं मानक– दर पर हैं।

इसका अर्थ है कि गृहस्थी के कुछ जरूरी सामान (कपड़े, किताबें, खाद्य तेल आदि) वस्तुतः छूटों की वजह से लगभग 5.8 प्रतिशत कर का विषय हैं। अगर दर 18 प्रतिशत रहती है, तब इन सामानों का मूल्य बढ़ जाएगा और संपूर्ण ढांचा डांवाडोल हो जाएगा। सेवा उद्योग में प्ररूपी कर आउटपुट 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। जीएसटी व्यवस्था में बाहर खाना सस्ता हो सकता है क्योंकि अभी आप सेवा कर एवं वैट दोनों का भुगतान करते हैं।

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, एक एकल कर होगा। चूंकि सेवा करों की दरों का निर्धारण राज्यों से भी अपेक्षित है, आपके फोन के बिल पर कर बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप एक आम आदमी द्वारा इस्तेमाल

की जाने वाली सेवाएं जैसे दूरसंचार, रेल परिवहन, बैंकिंग. हवाई यात्रा आदि खर्चीली हो सकती है, जबकि छोटी कारें उत्पाद आदि सस्ते हो सकते हैं।

मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा होने के नाते टेलीविजन सस्ता मिल सकता है। जीएसटी कम रहने के आसार है। अतः वर्तमान में आप 20,000 रूपये के एलईडी टीवी के लिए लगभग 24.5 प्रतिशत कर के साथ 24,900 रूपये का भुगतान करते हैं। जीएसटी के अंतर्गत, यदि मान लीजिए यह लगभग 18 प्रतिशत है, उसी टी.वी. की कीमत 23,600 रूपये होगी, जिसके चलते उपभोक्ता के लिए कीमत कम हो जाएगी।

ऑनलाइन सामान खरीदना महंगा दिखता है क्योंकि ई–वाणिज्य उद्योग कर के दायरे में आता है और इसे इसके विक्रेताओं से प्रत्येक खरीद के लिए कर का भुगतान करना होगा। अतः ई–वाणिज्य कंपनियों के मुनाफे के अंतर में कमी और बढ़े हुए कर– अनुपालन दायरे के कारण उनके द्वारा दी जाने वाली छूटों एवं मुफ्त दिए जाने वाले सामानों में कटौती होती है।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीएसटी की वास्तविक सफलता आम भारतीय उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। जीएसटी का सारांश यह है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिष्कृत दर पर कर लगेगा। एक राष्ट्र, एक कर सकारात्मक अर्थों में निर्णायक सिद्ध होगा और केवल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव खास तौर से आम आदमी पर पड़ता है। जीएसटी के मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसमें वस्तुओं का अंतिम उपभोक्ता आम आदमी ही है, इसके लागू होने के बाद सीधे तौर पर वही प्रभावित होगा। हम आशा करते है कि जीएसटी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ने में भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद करेगा तथा सहज कर व्यवस्था के साथ भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में तब्दील कर देगा। उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था आम आदमी के वित्तीय विकास में सहायक होगी।

मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा होने के नाते टेलीविजन सस्ता मिल सकता है। जीएसटी कम रहने के आसार है। अतः वर्तमान में आप 20,000 रूपये के एलईडी टीवी के लिए लगभग 24.5 प्रतिशत कर के साथ 24,900 रूपये का भुगतान करते हैं। जीएसटी के अंतर्गत, यदि मान लीजिए यह लगभग 18 प्रतिशत है, उसी टी.वी. की कीमत 23,600 रूपये होगी, जिसके चलते उपभोक्ता के लिए कीमत कम हो जाएगी।

जीएसटी की वास्तविक सफलता आम भारतीय उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। जीएसटी का सारांश यह है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिष्कृत दर पर कर लगने का मार्ग प्रभाव किया है। यह नीति एक राष्ट्र, एक कर सकारात्मक अर्थों में निर्णायक सिद्ध होगा और केवल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव खास तौर से आम आदमी पर पड़ता है। जीएसटी के मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसमें वस्तुओं का अंतिम उपभोक्ता आम आदमी ही है, इसके लागू होने के बाद सीधे तौर पर वही प्रभावित होगा। हम आशा करते है कि जीएसटी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ने में भारतीय

अर्थव्यवस्था की मदद करेगा तथा सहज कर व्यवस्था के साथ भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में तब्दील कर देगा। उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था आम आदमी के वित्तीय विकास में सहायक होगी।

परस्पर सशक्तीकरणः केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों के बंटवारे के मामले में बीच का रास्ता अपनाने का फैसला किया गया है। इस बिंदु पर सहमति व्यक्त की गई है कि 1.5 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों पर राज्य विशेष नियंत्रण रखेंगे। वहीं 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर राजस्व वाले व्यापारियों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के दोहरे नियंत्रण और दोहरे अधिकार होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवा कर हेतु पंजीकृत

मेरिट दर– आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं–

पहले मार्गदर्शक सिद्धांत के मुताबिक जीएसटी के कार्यान्वयन से वर्तमान कराधान की दर धीरे–धीरे अपने मौजूदा स्तर से नीचे आ जाएगी, इस प्रकार यह नागरिकों के ज्यादा अनुकूल है। दूसरे सिद्धांत का प्रावधान है कि कराधान उचित रूप से उतना पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि राजस्व के वर्तमान स्तर को बनाए रखा जा सके और केंद्र व राज्य की सरकारें बिना धन के अभाव से घिरे अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हों।

संरचना योजना : संरचना योजना पर एक आम सहमति बन गई है। यह निर्णय लिया गया कि आरटीएस 50 लाख तक के सकल कारोबार वाले व्यापारियों को 1–2 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। इस तरह की योजना छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए है। इस योजना के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के बिना एक करदाता साल भर के दौरान अपने कारोबार के प्रतिशत के रूप में कर का भुगतान करेगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के लिए कर की न्यूनतम नियत दर 1 प्रतिशत से कम नहीं होगी। लेवी निर्माण के विकल्प का चयन करने वाले करदाता अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लेंगे। अंतर – राज्य की यह माना जाता है कि जीएसटी परिषद अंतिम दरों पर पहुंचने से पहले इन दोनों सिद्धांतों का पालन करेगी। यह भी उम्मीद है कि दरें चार प्रकार की होंगी। आपूर्ति करने वाले करदाता या वापसी शुल्क के आधार पर कर का भुगतान करने वाले कर रचना योजना के लिए पात्र नहीं होते है।

मानक दरः सामान्य वस्तुएं या सेवाएं विशेष दर – कीमती धातुएं शून्य दर – छूट प्राप्त वस्तुएं या सेवाएं क्षेत्र के आधार पर छूट वर्तमान में 7 पूर्वोत्तर राज्यों इतर जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को क्षेत्र आधारित छूट मिलती है। कंपनियों को मुश्किल हालात में संयंत्र स्थापित करने के लिए करों में इस तरह की छूट दी जाती है। अब अगले वर्ष से शुरू होने वाली जीएसटी की व्यवस्था में क्षेत्र के आधार पर उत्पाद शुल्क में छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इसे रिफंड के रूप में दिया जाएगा न कि छूट के रूप में। यह सहमति बनी है कि जीएसटी के तहत छूट वाली सभी संस्थाओं पर कर की वसूली की जाएगी। तब कर प्राप्त करने वाले केंद्र या राज्य इसे छूट वाली चीजों पर क्षतिपूर्ति के रूप में वापस करेंगे। राज्य अब विशिष्ट औद्योगिक छूट, जिसे वे जारी रखना चाहते हैं के बारे में फैसला करेंगे कि किन छूटों को जारी रखा जाएगा या वापस किया जाएगा, इसका सटीक विवरण तैयार किया जाएगा।

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

जीएसटी से न सिर्फ उद्योग/व्यवसाय या व्यापार समुदाय लाभान्वित होंगे बल्कि इससे आम जनता को भी लाभ होगा। यदि नई प्रणाली करों की बहुलता को कम करने जा रही है, तो व्यापक/ दोहरे कराधान को कम किया जाए, विशेष रूप से निर्यात के लिए करों का अधिक कुशल निर्धारण और साझा राष्ट्रीय बाजार विकसित किया जाए। तब उपभोक्ताओं के लिए कर प्रणाली सरल सिद्ध होगी, जहां उपभोक्ता, करों की श्रृंखला से मुक्ति मिलने, देश भर में वस्तुओं की एकसमान दर, कराधान प्रणाली में पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से वस्तु एवं सेवाओं की दर में कमी आने की उम्मीद कर सकता है। जीएसटी की शुरुआत होने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

कर आधार के बढ़ने, व्यापार की मात्रा में वृद्धि और बेहतर कर अनुपालन से केंद्र और राज्यों को राजस्व लाभ होगा। यह कर प्रणाली अपने पारदर्शी चरित्र के कारण प्रशासन के लिए आसान होगी। यह भी स्मरणीय है कि जीएसटी के कार्यान्वयन से व्यापार में आसानी वाले देशों की सूची में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा, जिससे विदेशी निवेशकों को देश में अधिक से अधिक पैसा लाने में मदद मिलेगी।

वर्तमान कर प्रणाली (विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर ढाँचे के तहत) विकास को धीमा करने एवं व्यापार विकास तथा उपभोग में बाधक होने के साथ भारत की निवेश प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है।

भारत में कर प्रणाली किस प्रकार की है?

परिचय– कर, अनिवार्य वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं एवं सरकारी कार्यों के वित्तपोषण के लिये व्यक्तियों, व्यवसायों या संपत्ति पर लगाए जाते हैं। करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच कोई लेन–देन नहीं होता है। भारत में कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और अन्य करों का मिश्रण शामिल है।

करों के प्रकारः

प्रत्यक्ष कर :

ये कर व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा सरकार को अदा किये जाते हैं तथा इन्हें दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कर

आयकर – यह प्रगतिशील प्रकृति की आय पर लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न करदाता श्रेणियों के लिये अलग–अलग स्लैब होते हैं।

पूंजीगत लाभ कर– यह निवेश से प्राप्त लाभ पर कर है, जिसकी दरें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक होल्डिंग्स के आधार पर अलग–अलग होती हैं।

प्रतिभूति लेनदेन कर– यह शेयर बाज़ार में प्रतिभूतियों से जुड़े लेनदेन पर आरोपित कर है।

अनुलाभ कर– यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किये गए लाभों पर कर (जैसे, आवास, कार) है।

कॉर्पोरेट टैक्स– यह कंपनियों द्वारा अपनी कमाई पर दिया जाने वाला कर है, जिसमें विभिन्न आय स्तरों के लिये अलग–अलग स्लैब होते हैं।

न्यूनतम वैकल्पिक कर से यह सुनिश्चित होता है कि कंपनियाँ न्यूनतम कर (जो 18.5 प्रतिशत निर्धारित है) का भुगतान करें।

फ्रिंज बेनिफिट टैक्स–यह नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किये गए गैर–नकद लाभों पर कर (वर्ष 2009 में समाप्त) है।

लाभांश वितरण कर – यह कंपनियों द्वारा भुगतान किये गये लाभांश पर कर है।

बैंकिंग नकद लेनदेन कर– यह बैंकिंग लेनदेन पर कर (वर्ष 2009 में समाप्त) है।

अप्रत्यक्ष कर : ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और यह बिक्री पर बिचौलियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले जाते हैं और सरकार को अदा किये जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर–

जीएसटी यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग आधारित मूल्यवर्द्धित कर (मूल्यानुसार कर) है, जो आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह कर प्रतिगामी प्रकृति का है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों पर आय से परे समान दर से लगाया जाता है। मूल्यवर्द्धित कर (जीएसटी यह बेची गई वस्तुओं पर कर है जो आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें ळैज् व्यवस्था से बाहर (जैसे मादक पेय पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद आदि) रखा गया है। सीमा शुल्क एवं चुंगी–आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क तथा राज्य की सीमाओं को पार करने वाली वस्तुओं पर चुंगी कर लगता है। उत्पाद शुल्क– यह भारत के अंदर निर्मित वस्तुओं पर कर है।

अन्य कर : ये कर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये लगाए जाते हैं (अक्सर बुनियादी ढाँचे या कल्याण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये)।

अन्य शुल्क (उपकर)

शिक्षा उपकर– यह शैक्षणिक पहलों (जैसे कक्षाएँ, पुस्तकालय विकसित करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना आदि का वित्तपोषण) के लिये लिया जाने वाला 2 प्रतिशत कर है।

स्वच्छ भारत उपकर– यह स्वच्छ भारत मिशन जैसी स्वच्छता पहलों को वित्तपोषित करने के लिये वर्ष 2015 में शुरू किया गया कर है। कृषि कल्याण उपकररू यह सिंचाई परियोजनाओं, सब्सिडी वाले बीज आदि जैसे कृषि कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिये वर्ष 2016 में शुरू किया गया कर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है?

परिचय–यह एक मूल्यवर्द्धित कर है जो घरेलू उपभोग के लिये वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है तथा वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा एकत्र किया जाता है और सरकार को दिया जाता है।

विधायी आधार–101वें संशोधन अधिनियम, 2016 से विभिन्न करों को समाहित करके पूरे देश के लिये एकल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था शुरू करने के क्रम में जीएसटी प्रणाली की शुरुआत की गई।

जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित केंद्रीय करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं। जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित राज्य कर हैं–राज्य वैट (मूल्य वर्द्धित कर), केंद्रीय बिक्री कर, लक्ज़री टैक्स आदि।

मुख्य विशेषताएँ–

- आपूर्ति पक्ष– जीएसटी विनिर्माण, बिक्री या प्रावधान पर पुराने कर के विपरीत, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है।
- गंतव्य–आधारित कराधान– जीएसटी मूल–आधारित प्रणाली के विपरीत, गंतव्य–आधारित उपभोग कराधान का अनुसरण करता है।
- दोहरा जीएसटी– केंद्र (सीजीएसटी) और राज्य (एसजीएसटी) दोनों एक ही आधार पर कर लगाते हैं।
- आपूर्ति पक्ष–विनिर्माण, बिक्री या प्रावधान पर पिछले कर के विपरीत, जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है।
- गंतव्य–आधारित कराधान–मूल–आधारित प्रणाली के विपरीत, जीएसटी एक गंतव्य–आधारित उपभोग कर है।

ड्यूल जीएसटी: कराधान राज्यों (जीएसटी) और केंद्र (सीजीएसटी) द्वारा साझा आधार पर आरोपित किया जाता है।

- वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर–राज्यीय आपूर्ति माना जाता है तथा वे लागू सीमा शुल्क के साथ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अधीन होते हैं।
- जीएसटी परिषद– जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों द्वारा सीजीएसटी , जीएसटी और सीजीएसटी दरें पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं।
- विभिन्न दरें– जीएसटी पाँच दरों पर आरोपित किया जाता है, अर्थात 0: (शून्य दर), 5 प्रतिशत, 12:, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत, जिनका वस्तु वर्गीकरण ळैज् परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- जीएसटी परिषद–अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद की स्थापना करता है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री होगा, जिसमे राज्य द्वारा नामित मंत्री शामिल होंगे।
- केंद्र के पास 1/3 तथा राज्यों के पास 2/3 मतदान की शक्ति है, तथा निर्णय 3/4 बहुमत से लिये जाते हैं।

चुनौतियाँ :–

- पूर्वव्यापी कराधान–55वीं जीएसटी परिषद की पूर्वव्यापी कर संशोधन की सिफारिश एक प्रतिगामी कदम है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की अवहेलना करता है।

- वोडाफोन मामले में फैसले को रद्द करने के लिये गलत पूर्वव्यापी संशोधन के परिणामस्वरूप 8000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय जुर्माना लगा, जिसे भारत को अदा करना पड़ा।
- वर्ष 2014 में पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पूर्वव्यापी कराधान को "कर आतंकवाद" कहा था।
- इससे निवेशकों का विश्वास कम होता है तथा दीर्घकालिक निवेश हतोत्साहित होता है, क्योंकि कंपनियाँ सुसंगत नियमों पर भरोसा नहीं कर सकतीं।
- राजस्व अधिकतमीकरण– जीएसटी परिषद का राजस्व अधिकतमीकरण पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप मनमाना और अतिरंजित कर मांगें सामने आती हैं, जिससे व्यवसाय में निराशा और अकुशलता उत्पन्न होती है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकाररू व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करना, विशेष रूप से रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से हानिकारक है।
- इससे उपभोक्ताओं के लिये अंतिम कीमत बढ़ जाती है, बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा विकृत हो जाती है, तथा वे क्षेत्र प्रभावित होते हैं जो विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त एवं अन्य बनाम सफारी रिट्रीट्स केस, 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट क्षेत्र किराये या पट्टे के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक भवनों के निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकता है, जिसकी पहले अनुमति नहीं थी।

परिणाम–

अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों में विभिन्न कर दरें, जटिल कर अधिसूचनाएँ, छूट और रियायतों की जटिल प्रणाली, तथा परिपत्रों के कारण ऐसा वातावरण बनता है, जिससे व्यवसायों के बजाय कर पेशेवरों को लाभ होता है।

कम प्रत्यक्ष कर संग्रह– निगम, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, उच्च–कर वाले क्षेत्रों से कम–कर वाले क्षेत्रों में मुनाफे को स्थानांतरित करने के लिये स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का उपयोग करती हैं, जिससे उनकी कर देनदारियाँ कम हो जाती हैं।

कुछ निगम अपनी कर देयता को कम करने के लिये अपनी आय को कम या अपने व्यय को बढ़ा–चढ़ाकर बताते हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह इतना कम होने के कारण सरकार को उच्च अप्रत्यक्ष कर दर, अधिभार और उपकर जैसे अन्य स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने के लिये मज़बूर होना पड़ता है।

जटिल कर संरचना के परिणाम क्या हैं? आयात पर निर्भरता– बोझिल कर प्रणाली आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू विनिर्माण को कम प्रतिस्पर्द्धी बना देती है, जिससे विदेशी उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ जाती है।

उदाहरण के लिये, चीन से आयात वर्ष 2018–19 में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। इससे विपरीत शुल्क संरचना को भी बढ़ावा मिलता है, जहाँ प्रयुक्त इनपुट पर कर की दर तैयार वस्तु पर कर की दर से अधिक होती है। भारत के सकल घरेलू

उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा 15 प्रतिशत से कम हो गया है। मुद्रा अवमूल्यन–चूँकि व्यवसायों को उच्च लागत, कम प्रतिस्पर्द्धा और दमित वृद्धि का सामना करना पड़ता है, इसलिये इससे भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है और व्यापार घाटा बढ़ता है। जब किसी देश में राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों हों तो इससे दोहरे खाता घाटे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

निवेश में बाधा– अस्पष्ट संरचनाओं और पूर्वव्यापी संशोधनों के साथ एक जटिल कर प्रणाली, निवेशकों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न करती है और सुकर व्यापार प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। कम राजस्व संग्रहण–व्यवसायों को जटिल कर प्रणाली से निपटने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप या तो कर कम बताया जाता है या कर चोरी होती है। कम राजस्व संग्रह से सरकार राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिये उच्च कर लगाने के लिये विवश होती है, जिससे गतिरोध का चक्र शुरू हो जाता है। अधोमुखी आर्थिक चक्र–निम्न वृद्धि, कम निवेश और बढ़ते आयात से एक दुष्चक्र बनता है जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है और अकुशलता को बनाए रखता है।

सुझाव :–

जीएसटी को सरल एवं कारगर बनानारू व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के लिये, विशेष रूप से रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में, अधिक सरलीकृत और एकसमान कर दर संरचना शुरू की जानी चाहिये।

- भारत को दरों को तर्कसंगत बनाकर कर ढाँचे को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। उदाहरण के लिये, पॉपकॉर्न पर तीन जीएसटी दरें यानी, अनलेबल (5 प्रतिशत), लेबल्ड रेडी–टू–ईट (12 प्रतिशत) और कैरामेलाइज़्ड (18 प्रतिशत)।
- कर निश्चितता–बार–बार संशोधन या मनमाने कर मांगों का परिहार किया जाना चाहिये, जो स्पष्ट और सुसंगत कर नियमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं।
- पूर्वव्यापी कराधान को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है जो निवेशकों के विश्वास के लिये हानिकारक रहा है।
- राजस्व संग्रह का अनुकूलन–कर संग्रह दक्षता में सुधार और कर चोरी को रोकने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोग में लाया जाना चाहिये।
- प्रौद्योगिकी कर विसंगतियों की पहचान करने, व्यवसायों द्वारा सटीक रिपोर्ट सुनिश्चित करने तथा कम रिपोर्ट किये जाने का समाधान करने में मदद कर सकती है।
- आर्थिक विकास की कार्यनीति–कर प्रणाली में राजस्व अधिकतमीकरण की तुलना में दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि विकासोन्मुख नीतियों से भविष्य में कर आधार का विस्तार होता है।

- कॉर्पोरेट कर संग्रह में सुधार–संभावित कम रिपोर्टिंग, चोरी या धोखाधड़ी की पहचान करने के लिये कॉर्पोरेट कर फाइलिंग का नियमित और गहन ऑडिट आयोजित किया जाना चाहिये।

कंपनियों को समय पर कर का भुगतान करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर त्रुटियों अथवा लोप के बारे में शीघ्र स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिये शीघ्र भुगतान पर छूट या कम दंड जैसे प्रोत्साहन प्रदान किये जाने चाहिये।

संदर्भ स्रोत :–

1. अवस्थी आर.के., बैंकों के अनुशासित कार्यवाही एवं उसकी प्रक्रिया हिमालय पब्लिसिंग हाउस प्राइवेट लिमिण् मुम्बई वर्ष 2008
2. अग्रवाल, वी.पी. एवं मेहता, वी.के., प्रबंधकीय लेखांकन, साहित्य भवन, आगरा वर्ष 2011।
3. अग्रवाल, एन.एल., भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, वर्ष 2014।
4. अग्रवाल, अमरनारायण, अल्पविकास का अर्थशास्त्र व्यापार हरियाणा साहित्य अकादमीस, वर्ष 2018।
5. आर्य अल्का विकास विकल्प अक्टूबर दिसम्बर समाज कल्याण प्रकाशन मेरठ, वर्ष 1999
6. कुलश्रेष्ठ, आर.एस., शर्मा, ओ.पी., भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन, आगरा, वर्ष 2007।
7. कुलश्रेष्ठ, आर. एल. एवं माथुर, बी.एल., नियोजन एवं आर्थिक विकास, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2015।
8. कुमार, सुशील, ग्रामीण विकास एवं क्षेत्रीय नियोजन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2004।
9. कौल, जी.डी.एच, द्रव्य, व्यापार और विनियोग, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ आकदमी, जयपुर, वर्ष 2006।
10. खरे पीसी एवं सिन्हा व्ही.सी.औद्योगिक समाज शास्त्र नेशलन पब्लिशिंग हाउस दरियागंज दिल्ली,, वर्ष 1979
11. योजना (2016) कर सुधार (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) पृ.सं. 25–28 एवं 45–48

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन"

डॉ. सिद्धार्थ कुमार वर्मा
सहायक प्राध्यापक
रसायन शास्त्र विभाग
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा (म. प्र.)

सारांश

जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा है, जिसने एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करके कर संरचना को सुव्यवस्थित किया है। आर्थिक रूप से, इससे कर अनुपालन में वृद्धि हुई है, जिससे कर संग्रह और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, और व्यवसायों के लिए संचालन को आसान बनाया गया है। राजनीतिक रूप से, इसने संघीय और राज्य सरकारों के बीच कर शक्तियों के बंटवारे को फिर से परिभाषित किया है, जबकि एक ही मंच पर कर एकत्र करने और वितरित करने से पारदर्शिता बढ़ी है और एक केंद्रीकृत और जवाबदेह कर प्रणाली को बढ़ावा मिला है।

मूल शब्दः अर्थव्यवस्था, पारदर्शिता, व्यवसाय, आर्थिक, राजनीतिक

प्रस्तावना

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और ''एक कर, एक राष्ट्र'' की अवधारणा के कारण बाधाएं खत्म हुई हैं। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि करों के कारण बढ़ी हुई लागत और प्रशासनिक मुद्दे। यह लेख इन प्रभावों पर केंद्रित है और जीएसटी के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है, जिसमें कहा गया है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है, लेकिन कुल मिलाकर यह भारत के कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है।

सकारात्मक प्रभावः

- एकल और एकीकृत कर व्यवस्थाः जीएसटी ने कई केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एक साथ ला दिया, जिससे व्यापार में जटिलताएँ कम हुईं और पारदिर्शिता बढ़ी।
- आर्थिक विकास को बढ़ावाः इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी और प्रतिस्पर्धा में सुधार की उम्मीद है।
- व्यापार करने में आसानी राज्यों के बीच कर बाधाओं के हटने से राज्यों के बीच व्यापार सुगम हुआ है और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है।
- राजस्व में वृद्धिः जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन में सकारात्मक रुझान को दर्शाती है।
- रोजगार सृजनः जीएसटी के माध्यम से कर के बोझ में कमी और नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- पारदर्शिताः जीएसटी प्रणाली ने कर भुगतान में पारदर्शिता लाई है, जिससे ग्राहकों को यह पता चल पाता है कि वे कौन से कर चुका रहे हैं।

नकारात्मक प्रभावः

- कुछ क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभावः कुछ क्षेत्रों में, बढ़ी हुई कीमतों के कारण वस्तुओं की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है, जैसे कि कुछ ब्रांडेड कपड़ों या होटल के कमरों पर।
- कार्यान्वयन में चुनौतियांः कुछ असंगठित क्षेत्र की कंपनियों को नई प्रणाली के अनुकूल होने में समय लग रहा है।
- मुद्रास्फीति का खतराः जीएसटी लागू होने से पहले कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई थी, हालांकि यह अस्थायी हो सकता है।

आर्थिक प्रभाव

- व्यवसायों के लिए सरलीकरणः जीएसटी ने कई केंद्रीय और राज्य करों को एक साथ मिलाकर कर संरचना को सरल बनाया है, जिससे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ कम हुआ है।
- कर संग्रह में वृद्धिः जीएसटी के बाद, कर संग्रह में वृद्धि हुई है (जैसे, वित्त वर्ष 2024 में सकल जीएसटी संग्रह ₹20.18 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो 11.7ः की वृद्धि है), जिससे सरकार की राजस्व क्षमता बढ़ी है।
- पारदर्शिता और औपचारिकीकरणः जीएसटी ने अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, कर चोरी को कम किया है और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को प्रोत्साहित किया है।
- निवेश और विकास को बढ़ावाः सरल कर प्रणाली और बेहतर अनुपालन से विदेशी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय व्यवसायों को मदद मिली है, जिससे निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला दक्षताः लॉजिस्टिक्स और परिवहन के बीच के बाधाओं को कम करने से, जीएसटी ने परिवहन के समय और लागत को कम किया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हुआ है।

राजनीतिक प्रभाव

- संघवाद पर प्रभावः जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच कर शक्तियों के बंटवारे को फिर से परिभाषित किया है। केंद्र और राज्य दोनों ही एक ही कर प्रणाली के तहत कर संग्रह करते हैं, जिससे संघीय ढांचे में आर्थिक सहयोग और समन्वय को बढ़ावा मिलता है।
- राज्यों की स्वायत्तता में बदलावः कुछ राज्यों ने अपनी कर स्वायत्तता खोने की चिंता व्यक्त की, जबकि जीएसटी परिषद के माध्यम से राज्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला है।
- जवाबदेही और पारदर्शिताः जीएसटी प्रणाली के तहत करों को एकत्र करने और वितरित करने में अधिक पारदर्शिता है, जिससे सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेह है।
- केंद्रीकृत नियंत्रण में वृद्धिः जीएसटी के कार्यान्वयन से केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह पर अधिक नियंत्रण हो गया है, जिसने देश भर में आर्थिक नीतियों के सुसंगत कार्यान्वयन में मदद की है।
- राजनीतिक समन्वय और सहयोगः जीएसटी ने विभिन्न राज्यों के साथ आर्थिक नीतियों पर सहयोग और समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कर व्यवस्था को सरल बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के बावजूद, इसके नकारात्मक पहलुओं को दूर करने और इसके लाभों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा और परिवर्तनकारी सुधार है, जिसने कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया है। इसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और कर संग्रह में वृद्धि की है। हालाँकि, इसके कुछ शुरुआती चुनौतियाँ हैं जिन्हें भविष्य में हल करने की आवश्यकता है ताकि इसके पूर्ण लाभों का एहसास हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एहतिशाम अहमद और सत्य पोद्दार (2009), ''भारत में वस्तु एवं सेवा कर सुधार और अंतर–सरकारी विचार'', ''एशिया रिसर्च सेंटर'', एलएसई, 2009
2. डॉ. आर. वसंतगोपाल (2011), ''भारत में जीएसटीः अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में एक बड़ी छलांग'', अंतर्राष्ट्रीयजर्नल ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, खंड 2, संख्या 10, 2011 2, अप्रैल, 2011.
3. पिंकी, सुप्रिया कामना, ऋचा वर्मा (2014), ''वस्तु एवं सेवा कर – भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए रामबाण, ''टैक्टफुल मैनेजमेंट रिसर्च जर्नल'', वॉल्यूम 2, अंक 10, जुलाई, 2014,
4. नितिन कुमार (2014), ''भारत में वस्तु एवं सेवा कर – एक आगे का रास्ता'', ''ग्लोबल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज'', खंड 3, अंक, मई 2014।
5. अगोग मावुली (204): ''वस्तु एवं सेवा कर – एक मूल्यांकन'' पेपर पीएनजी कराधान अनुसंधान एवं समीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

डॉ. सत्यप्रकाश वर्मा
सहायक प्राध्यापक
रसायन शास्त्र विभाग
प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश

जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसमें आर्थिक मोर्चे पर एकीकरण, बढ़ी हुई दक्षता और राजस्व वृद्धि शामिल है, जबकि राजनीतिक रूप से इसने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति के पुनर्संतुलन को प्रभावित किया है। जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है और कई अप्रत्यक्ष करों को एक ही प्रणाली में समेकित करने से अनुपालन में सुधार हुआ है। राजनीतिक रूप से, इसने केंद्र और राज्यों के बीच कराधान और वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दों को जन्म दिया है, जो एक राष्ट्रीय बहस का विषय बना हुआ है।

मूल शब्दः— अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक, जीएसटी

प्रस्तावना

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक रूप से कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं, जैसे कि करों का सरलीकरण, व्यापार में आसानी, और कर संग्रह में वृद्धि, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच कर शक्तियों के पुनर्संतुलन और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के माध्यम से संघवाद को प्रभावित किया है, हालाँकि इसमें कर संग्रह को लेकर राज्यों की चिंताओं का भी सामना करना पड़ा। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव है, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सरकारी राजस्व में वृद्धि, और उत्पादन दक्षता में सुधार शामिल हैं। हालाँकि, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि व्यवसायों के लिए शुरुआती संक्रमणकालीन समस्याएँ, कुछ वस्तुओं की कीमतों में अल्पकालिक वृद्धि, और अनुपालन की उच्च लागत।

उद्देश्य

जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषय पर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य जीएसटी को एक प्रमुख कर सुधार के रूप में समझना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता, और समावेशी विकास पर इसके बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण करना है। इसका उद्देश्य जीएसटी से संबंधित राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है, जैसे कि कर चोरी को कम करना, व्यापार के बोझ को सरल बनाना, और श्एक राष्ट्र, एक करश प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकृत बाजार बनाना। भारत में जीएसटी प्रभाव के कारण करों में कमी आई है। नतीजतन, अंतिम ग्राहक कम करों का भुगतान करता है। कर के बोझ में कमी ने खुदरा और अन्य व्यवसायों के उत्पादन और विकास को बढ़ावा दिया है। जीएसटी ळैज् का उद्देश्य आम कर दरों और प्रक्रियाओं के साथ भारत को एक सामान्य बाजार बनाना है और इसकी आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।

राजनीतिक प्रभाव

- राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में बदलाव— जीएसटी के कारण राज्यों की अपनी कर प्रणाली में स्वायत्तता कुछ कम हुई है। हालांकि, राज्यों को जीएसटी राजस्व का हिस्सा मिलता है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय शक्ति का पुनर्संतुलन हुआ है।
- केंद्र—राज्य संबंध— जीएसटी के कार्यान्वयन और इसके समायोजन ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर एक बहस छेड़ दी है।
- राजनीतिक सहमति का निर्माण— जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक सहमति की आवश्यकता थी, जो इसकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू था।

- केंद्र–राज्य संबंधों पर प्रभाव– जीएसटी के लागू होने से केंद्र और राज्यों के बीच कर की शक्तियों का पुनर्वितरण हुआ, जिससे संघवाद की गतिशीलता प्रभावित हुई। कुछ राज्य अपनी राजस्व स्वायत्तता को लेकर चिंतित रहे हैं।
- एक एकीकृत बाजार का निर्माण– जीएसटी ने भारत में एक एकल, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद की, जिसने राज्यों की सीमाओं के पार व्यापार को आसान बना दिया।
- राजकोषीय राजस्व में उतार–चढ़ाव– प्रारंभिक वर्षों में, जीएसटी के कारण कुछ राज्यों के राजस्व में कमी आई, जिससे राजकोषीय संतुलन प्रभावित हुआ और केंद्र को राजस्व हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ी।

आर्थिक प्रभाव

- एकल कर प्रणाली– जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर प्रणाली में समाहित कर दिया है, जिससे करों पर लगने वाले करों (कैस्केडिंग प्रभाव) को समाप्त किया जा सका है।
- लॉजिस्टिक्स और दक्षता में वृद्धि– अंतर–राज्यीय सीमाओं पर चौकियों और प्रवेश कर बाधाओं को खत्म करने से रसद और परिवहन लागत में कमी आई है, जिससे रसद और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में दक्षता बढ़ी है।
- राजस्व वृद्धि– जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, जो बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन को दर्शाती है।
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा– जीएसटी ने घरेलू उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है।
- निर्यात को प्रोत्साहन– निर्यात को शून्य–रेटेड मानने से त्वरित धनवापसी होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
- व्यवसाय सुगमता प्रौद्योगिकी– संचालित, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाली प्रणाली ने पंजीकरण, प्रतिदान और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।
- राजस्व और अनुपालन में सुधार– कर आधार का विस्तार हुआ है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है।
- कर संरचना का सरलीकरण– जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में मिला दिया, जिससे करों का बोझ और प्रशासन आसान हो गया।
- व्यापार में आसानी– विभिन्न राज्यों के बीच कर बाधाओं और चौकियों को हटाने से रसद और परिवहन लागत कम हुई, जिससे व्यवसायों के लिए संचालन अधिक कुशल हुआ।
- कर संग्रह में वृद्धि– जीएसटी के बाद करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई और कर संग्रह भी बढ़ा, जो आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा– एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार और कम कर बाधाओं के कारण, अर्थव्यवस्था को फलने–फूलने में मदद मिली, खासकर विनिर्माण और रसद जैसे क्षेत्रों में।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता– जीएसटी ने भारतीय उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद की है, क्योंकि यह लागत को कम करता है।

सुझाव

- कर दरों का सरलीकरण– जीएसटी के भीतर कुछ विसंगतियों को दूर करने और कर दरों को और सरल बनाने पर विचार किया जा सकता है, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए।
- व्यापार–अनुकूल वातावरण– जीएसटी के अनुपालन बोझ को कम करने और इसे और अधिक व्यापार–अनुकूल बनाने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
- केंद्र–राज्य संबंध– जीएसटी परिषद को राज्यों की चिंताओं को दूर करने और जीएसटी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
- पारदर्शिता– कर संग्रह और कर–संबंधी डेटा में पारदर्शिता को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे बढ़ी हुई दक्षता, कम लागत और अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। हालांकि, इसने राजनीतिक स्तर पर केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों में कुछ तनाव भी पैदा किए हैं। इस कर प्रणाली के पूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव आने में अभी कुछ और समय लगेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

जीएसटी सुधार 2.0: भारतीय कर प्रणाली में एक नया अध्याय

कविता नागर
सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़नगर जिला उज्जैन (म.प्र.)

भाोध सारांश :

जीएसटी भारत में एक महत्वपूर्ण कर सुधार है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी की शुरुआत के आठ वर्षों बाद, 22 सितंबर 2025 से सशोधित दरे लागू हो चुकी है , एवं इस सुधार को जीएसटी 2.0 की संज्ञा दी गई है । इस शोध पत्र में जीएसटी 2.0 के मुख्य बदलावों, आर्थिक प्रभावों, संघीय संतुलन पर प्रभाव, राजनीतिक विमर्श तथा सुधार से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। यह सुधार कर दरों के सरलीकरण, अनुपालन में सुगमता, और राज्यों व केंद्र के बीच राजस्व वितरण के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे कई करो की जगह लेता है, जिससे एक एकीकृत बाजार का निर्माण होता है द्य समग्र रूप से, जीएसटी ने व्यापारिक वातावरण को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव पूरी तरह से समझने के लिए समय के साथ इसका विश्लेष्ण आवश्यक है

मुख्य भाब्द : जीएसटी 2.0, कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर, वित्तीय संघवाद, अनुपालन, उत्पाद शुल्क, एकीकृत बाजार, व्यापारिक, पारदर्शी, विश्लेषण।

प्रस्तावना

1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था, जो भारतीय कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया था। इसका मुख्य उद्धेश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करो को एकीकृत करके एक कर प्रणाली को सरल बनाना और पूरे देश को एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित करना था। इस नई कर प्रणाली का भारतीय व्यापार और उद्योगो पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जो न केवल व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि अंतरार्ज्यीय व्यापार की बाधाओ को भी समाप्त करता है, लेकिन शुरूआती वर्षों में जटिल दर संरचना, राज्यों के राजस्व विवाद एवं अनुपालन की दिक्कतें देखने को मिलीं। जीएसटी सुधार 2.0 उन समस्याओ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके।

शोध उद्देश्य

- जीएसटी 2.0 के प्रमुख सुधारों का विश्लेषण करना।
- आर्थिक और संघीय प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- राजनीतिक विमर्श और राज्य–केन्द्र संबंधों में हुए बदलावों का अध्ययन।
- जीएसटी 2.0 से उभरती चुनौतियों और उनके समाधान के उपाय प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा

विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि जीएसटी ने कर संग्रह में वृद्धि की है तथा अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में मदद की है। लेकिन कई शोध में राज्यों के राजस्व में कमी और अनुपालन लागत बढ़ने की भी बातें सामने आई हैं। सितंबर 2025 के बाद हुए जीएसटी 2.0 सुधारों को वित्त मंत्रालय, जीएसटी परिषद, और अनेक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला कदम मानते हैं।

जीएसटी 2 .0 के उद्देश्य

जी एस टी 2.0 का मुख्य उद्येश्य कर संरचना को सरल एवम् पारदर्शी बनाना, आम नागरिक एवम् लघु एवम् मध्यम उधोग के कर बोझ को कम करना, घरेलू उपभोग को बढावा देना, केंद्र एवम् राज्यों के बीच राजस्व संतुलन सुनिश्चित करना जिससे विकसित भारत 2047 के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देना।

जीएसटी सुधार 2.0 के तहत प्रमुख परिवर्तन–

- **शून्य दर छूट का विस्तार** –जीवन रक्षक दवाओ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियो, और शैक्षणिक वस्तुओ को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। इन वस्तुओ पर अब किसी प्रकार का कर नही देना होगा।
- **कर संरचना का युक्तिकरण** –पूर्व चार कर दरों को दो मुख्य दरों 5 प्रति'ोत आवश्यक वस्तुओ पर लागू और 18 प्रति'ोत सामान्य वस्तुओ पर लागू में समेकित किया गया।
- **विलासिता की वस्तुओं पर कर की दर** – तम्बाकू और पण मसाला जैसी विलासिता वाली वस्तुओ पर 40 प्रति'ोत की दर से विशेष कर लगाया गया है । पूर्व में उच्च विलासिता वाली वस्तुओ पर 28 प्रति'ोत जी एस टी के साथ उपकर लगाया जाता था।
- छोटे उद्योगों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- डिजिटल रिटर्न फाइलिंग और ई–इनवॉयसिंग की सीमा को घटा दिया गया है तथा इसे 5 करोड़ रूपये से अधिक व्यवसायों के लिए अनिवार्य किया गया है ।

प्रभाव और लाभ

1.**घरेलू खर्च में कमी** – दैनिक खाद्य वस्तुओ को 5 प्रति'ोत या शून्य जी एस टी के दायरे में लाया गया है जिससे घरेलु खर्च कम हुए है।

2. **स्वास्थ्य सेवाए सुलभ** – जीवन रक्षक दवाओ और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर कर छुट से स्वास्थ्य सेवाए अधिक सुलभ हो गई है, दवाओ पर जीएसटी घटाकर 5 प्रति'ोत या शून्य कर दिया गया है

3.**शिक्षा सुलभ** – शिक्षा की लागत कम करने के लिए पेंसिल , रबड़ और अभ्यास पुस्तिकाओ जैसी आवश्यक शिक्षण सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है।

4. **करदाताओं के लिए अनुपालन में सरलता** – कर के स्लैब की संख्या दो करने से व्यवसायों से सम्बद्ध विभिन्न गतिविधिया सुगम हुई है द्य नवीन सुधारो से छोटे व्यवसायों पर रिटर्न फाइलिंग का बोझ काफी कम हुआ है।

5. **मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन** – दोपहिया वाहनों और छोटी कारो पर जीएसटी 28 प्रति'ोत से घटाकर 18 प्रति'ोत कर दी गई है इसके साथ ही चमड़ा, जूते, कपड़ा, हस्तशिल्प और खिलोनों पर जीएसटी घटाकर 5: कर दी गई है , इससे ृमेक इन इंडियाृ और निर्यात को बढावा मिलेगाद्य

6. राज्य–केन्द्र राजस्व विवादों में कमी आयेगी।

7. उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता दृ प्रमुख उपभोकता वस्तुओ पर दरें कम होने से मांग में वृध्दि होने की उम्मीद है मांग में वृध्दि शहरी एवम् ग्रामीण दोनों क्षेत्रो में होने की संभावना है।

8 .अर्थव्यवस्था में नई गति और निवेश आकर्षण होगा।

राजनीतिक एवं संघीय दृष्टिकोण

सरकार ने इस सुधार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक बताया है, जबकि विपक्ष ने कुछ चुनौतियों को दूर करने के लिए और अधिक समावेशी नीतियां अपनाने की मांग की है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता संबंधी चर्चाएं भी तेज हुई हैं।

चुनौतिया–

- राजस्व हानि की आशंकारू कर सुधार के कारण केंद्र और कुछ राज्यों के लिए बजट दबाव।
- अत्यधिक सस्ती दरे से राजस्व असंतुलन की सम्भावना।

- छोटे व्यवसायों को डिजिटल साक्षरता के अभाव में समस्या।
- संक्रमण काल में कर प्रशासन एवम् अनुपालन की समस्या।
- जीएसटी परिषद में सभी राज्यों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- तकनीकी मुद्दों से निपटना।
- समाधान
- राज्यों के साथ विश्वास और सहमति आधारित निर्णय।
- राजस्व भरपाई के लिए स्थायी तंत्र विकसित करना।
- डिजिटल कर प्रशासन और ई–इनवाईसिंग को अधिक सशक्त करना।
- समय–समय पर कर ढांचे की समीक्षा और सुधार करना।
- उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए संतुलित कर दर बनाए रखना।

निष्कर्ष–

जीएसटी सुधार 2.0 भारतीय कर प्रणाली का आवश्यक और सकारात्मक कदम है,नई पीड़ी के लिए जी एस टी सुधार एक सरल, न्यायपूर्ण और भविष्य उन्मुख कर ढांचे की दिशा में साहसिक कदम है यह नागरिको पर कर का बोझ कम करता है तथा किसानो, एमएसएमई, महिलाओ, युवाओ एवम् मध्यम वर्गीय परिवारों को सशक्त बनाते है। जीएसटी 2.0 भारत की कर प्रणाली में एक परिवर्तन है जो सरलता, पारदर्शिता एवम् उपभोक्ता हित की दिशा में सुधार लाएगा। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो न केवल उपभोक्ताओ और उधोगो को लाभ देगा बल्कि राज्यों एवम् केंद्र के बीच कर प्रशासन को भी अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाएगा।

संदर्भ ग्रंथो की सूची –

1. मिश्रा, वी. के. (2019) भारतीय कर प्रणाली और जीएसटी का प्रभाव नई दिल्ली शिखर पब्लिकेशन्स.

2. इन्डियन काउंसलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस, (2019). जी एस टी और भारतीय व्यापार का अध्ययन, नई दिल्लीः आईसीआरआईईआर पब्लिशिंग.

3. DR. Nilanjan Ghosh, GST Reforms 2025: Ushering the Era of GST 2.0 |

4. क्रानिकल पत्रिका नवम्बर 2025।

जीएसटी की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक व्यापक अध्ययन

डॉ. जिया लाल राठौर* डॉ. मनीष कुमार महरा** डॉ. संध्या सिंह राठौर***
शासकीय महाविद्यालय जैतपुर जिला. शहडोल (म.प्र.)
ई–मेल आईडी – jiyarathaur1589@gmail.com
manishmahra@gmail.com

शोध सारांशः–

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक कर है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे बड़ा कर सुधार है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि करके भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। भारत में जीएसटी लागू होने से पहले कई अप्रत्यक्ष कर थे जैसे मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, बिक्री कर, चुंगी, विलासिता कर आदि। लेकिन अब ये सभी अप्रत्यक्ष कर एक ही छतरी के नीचे आ गए हैं। अब भारत में जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही कर है, जिसकी निगरानी केंद्र सरकार करती है। वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर अलग–अलग कर दरें लागू होती हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए केवल एक ही कर दर होगी। जीएसटी से व्यापार के अनुकूल माहौल बनने की उम्मीद है। इससे सरकार की राजकोषीय स्थिति में भी सुधार होगा और मुद्रास्फीति में कमी आएगी। इस लेख में वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्दः– वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), कर, अप्रत्यक्ष कर, राजकोषीय स्थिति, मुद्रास्फीति

प्रस्तावनाः– कर नीति दक्षता और समानता पर अपने प्रभाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी प्रणाली को आय वितरण के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही कर राजस्व सार्वजनिक सेवा और बुनियादी ढाँचे के विकास पर सरकारी व्यय का समर्थन करना चाहिए। जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के पूरे परिदृश्य को बदलने की संभावना है। इसे 1947 के बाद से सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। जीएसटी पारित होने से पहले, भारत में एक जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी जिसे केंद्र और राज्य द्वारा अलग–अलग लगाया जाता था। जीएसटी सभी अप्रत्यक्ष करों को एक छत्र के नीचे एक समान कर देगा और एक सुचारू राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा। जीएसटी बाजार की गतिशीलता को बदल देगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि व्यावसायिक उद्यम और कंपनियां नए कर नियमों को कैसे अपनाएंगी। जीएसटी पूरे भारत में निर्माता द्वारा उपभोग और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर होगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों का स्थान लेगा। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या खरीद के प्रत्येक चरण पर लगाया और एकत्र किया जाएगा। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर उस स्थान पर लागू होता है जहां वास्तविक उपभोग होता है। जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस द्वारा 1954 में पेश किया गया था और अब 160 देश इसका पालन करते हैं। अधिकांश देशों ने एकीकृत जीएसटी का पालन किया और कुछ देश दोहरी जीएसटी प्रणाली का पालन करते हैं जहां केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कर लगाया जाता है। जब केंद्र सरकार कर लगाती है तो उसे केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाता है और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है तो उसे राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाता है। भारत में हम जीएसटी की दोहरी प्रणाली का भी पालन करते हैं जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी शामिल हैं।

साहित्य समीक्षाः–

अध्ययन में उन्होंने उल्लेख किया कि जीएसटी भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम, 2016 द्वारा इसकी शुरूआत को भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधार ढांचे के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना गया था। जीएसटी को वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता, बिक्री और उपभोग पर लगाए गए एक व्यापक उपभोग आधारित कर के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसने देश को एक एकीकृत आम बाजार में बदलने में मदद की। इसके कार्यान्वयन के बाद जीएसटी के बारे में कई अस्पष्ट तर्क दिए गए। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे जीएसटी भारत में करों की मौजूदा जटिलता को कम करने में मदद करेगा क्योंकि इसमें वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और बिक्री कर शामिल हैं।

ए. यादव (2017) अपने अध्ययन में उन्होंने उल्लेख किया कि जीएसटी का मुख्य विचार वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और बिक्री कर जैसे मौजूदा करों को प्रतिस्थापित करना है। यह वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता और उपभोग पर लगाया जाएगा। जीएसटी विभिन्न विकास क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण उद्योग, एमएसएमई, आवास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, मूल्य स्तर, एक्जिम व्यापार, जीडीपी, सरकारी राजस्व आदि पर इसके सकारात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा।

के. अजय कुमार (2017) इस शोधपत्र में अर्थव्यवस्था के विकास और व्यापार, सरकार और उपभोक्ता के लिए इसके लाभों पर जीएसटी के प्रभाव के स्तर को समझाने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे विकासशील देशों में कराधान प्रणाली देश के राजस्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन भारत की कर प्रणाली न केवल समझने में कठिन है, बल्कि गणना करने में भी कठिन है। ए. दाश (2017)रू उल्लेख किया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) – जिसे लोकप्रिय रूप से जीएसटी के नाम से जाना जाता है – वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है, निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट मूल्य के अगले चरण में उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, जो जीएसटी को अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्य संवर्धन पर कर बनाता है। इस पत्र में उन्होंने भारतीय कर प्रणाली में जीएसटी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला।

डॉ. योगेश के. सी. अग्रवाल (2017) शोध पत्र जीएसटी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में है। जीएसटी की शुरुआत के साथ, आम लोगों में जीएसटी को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस शोध पत्र का उद्देश्य जीएसटी की व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रत्येक व्यक्ति आउटपुट पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसे भुगतान किए गए इनपुट कर का क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार होगा और कर केवल मूल्य वर्धित राशि पर ही लगेगा। जीएसटी प्रणाली का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को संसद के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह में किया गया था।

डॉ. एस. शेख, डॉ. एस. ए. समीरा, एसके। सी. फिरोज (2015) इस शोध अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक कर है। वर्तमान में कंपनी और व्यवसाय सरकार को कई अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, सेवा कर, बिक्री कर आदि देते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये सभी अप्रत्यक्ष कर एक ही दायरे में आ जाएँगे। वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर अलग–अलग कर दरें लागू होती हैं, लेकिन जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही कर दर होगी। जीएसटी का उद्देश्य व्यापार के अनुकूल माहौल बनाए रखना है और यह सरकार की वित्तीय स्थिति में भी सुधार करेगा और कर संग्रह प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

एम. सहरावत और यू. ढांडा (2015) ने अध्ययन किया कि ''जीएसटी भारतः एक प्रमुख कर सुधार'' जीएसटी भारत में सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक है जो लंबे समय से लंबित है। यह एक व्यापक कर प्रणाली है जो राज्य और केंद्र सरकार के सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल करेगी और अर्थव्यवस्था को एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार में एकीकृत करेगी। यह शोधपत्र जीएसटी के लाभों और इसके क्रियान्वयन में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है।

नितिन कुमार (2014) ''वस्तु एवं सेवा कर – आगे की राह'' का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन से, वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा आर्थिक परिवर्तन को दूर करने में मदद मिलेगी और निष्पक्ष कर संरचना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो भौगोलिक स्थितियों के प्रति उदासीन है।

जॉयप्रकाश (2014) अपने शोध अध्ययन में उल्लेख किया है कि जीएसटी से उद्योग, व्यापार, कृषि और उपभोक्ता को अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार जीएसटी हमें अपने कर आधार को व्यापक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करता है और हमें इसे लागू करने का यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए।

ई. अहमद और एस. पोद्दार (2009) ''भारत में वस्तु एवं सेवा कर सुधार और अंतर–सरकारी विचार'' का अध्ययन किया और पाया कि जीएसटी लागू होने से भारत में अर्थव्यवस्था के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली उपलब्ध होगी। लेकिन जीएसटी के लाभ जीएसटी के तर्कसंगत डिजाइन पर निर्भर हैं

जीएसटी के उद्देश्यः

1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।

2. यह समझना कि भारत में जीएसटी कैसे काम करेगा।

3. भारतीय संदर्भ में जीएसटी के लाभों और चुनौतियों को जानना।

4. जीएसटी पर आगे के शोध कार्य के लिए जानकारी प्रदान करना।

शोध पद्धतिः

अध्ययन में विभिन्न पुस्तकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, विभिन्न वेबसाइटों से प्रकाशित सरकारी रिपोर्टों से एकत्रित द्वितीयक आंकड़ों के व्यापक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो वस्तु एवं सेवा कर के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थे। जीएसटी की अवधारणाएँः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी अप्रत्यक्ष करों का एक संयोजन है। जीएसटी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अप्रत्यक्ष करों को एक एकीकृत कर में शामिल किया जाएगा। यह मूल्यवर्धन के सभी चरणों में वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर वसूला जाएगा। इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) सहित दोहरा मॉडल है। सीजीएसटी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क शामिल होंगे, जबकि राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे राज्य वैट, क्रय कर, विलासिता कर, चुंगी, लॉटरी और जुए पर कर को (एसजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), जिसे अंतर्रराज्यीय वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है, भी जीएसटी का एक घटक है। यह एक अतिरिक्त कर नहीं है, बल्कि यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्रराज्यीय लेनदेन की जाँच करने और यह सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है कि कर आयातक राज्य को प्राप्त हो, क्योंकि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। दूसरी ओर, जीएसटी में मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क पर उपकर, पंचायत द्वारा लगाया गया मनोरंजन कर, नगरपालिका, क्षेत्रीय या जिला परिषद, मानव उपभोग के लिए शराब, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, वायु टरबाइन ईंधन शामिल नहीं हैं।एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार (20 लाख रुपये तक और पूर्वोत्तर राज्य और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपये तक) वाले करदाताओं को कर से छूट दी जाएगी।

भारत में जीएसटी के सकारात्मक प्रभावः

1. जीएसटी एक एकल कराधान प्रणाली है जो अप्रत्यक्ष करों की संख्या को कम करेगी। अब से एक ही कराधान शब्द

इन सभी अप्रत्यक्ष करों को कवर करेगा।

2. इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर सभी अप्रत्यक्ष कर एक ही छत के नीचे शामिल हैं जो राज्य और केंद्र सरकार पर बोझ कम करते हैं।

3. वस्तुओं और सेवाओं की लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार करके जीएसटी ने विनिर्माण क्षेत्र को करों के व्यापक प्रभाव (अर्थात, कर पर कर) से मुक्त कर दिया है।

4. कर–जीडीपी अनुपात में वृद्धि से व्यापार के अनुकूल माहौल बना है और मुद्रास्फीति दर में कमी आएगी।

5. जीएसटी भ्रष्टाचार मुक्त कराधान प्रणाली की शुरुआत करेगा।

6. विनिर्माण लागत कम हो जाएगी, इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

7. एकीकृत कर व्यवस्था से भ्रष्टाचार कम होगा जिसका अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

8. लंबे समय में जीएसटी सरकारी राजस्व में वृद्धि करेगा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में जीएसटी के नकारात्मक प्रभावः

1. जीएसटी लागू होने से रियल एस्टेट बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ।

2. अधिकांश डीलर केवल वैट देकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। लेकिन अब उन सभी डीलरों को जीएसटी का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

3. जीएसटी का अल्पकालिक प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक रहने की उम्मीद है।

4. जीएसटी एक रहस्यमय शब्द है जहाँ दोहरे कर को एकल कर के नाम पर बदल दिया जाता है।

5. उपभोक्ता के लिए जीएसटी मिश्रित सब्जी की तरह होगा क्योंकि कुछ वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी जबकि अन्य महँगी हो जाएँगी।

6. दूरसंचार, बैंकिंग और एयरलाइन जैसी सेवाएँ महँगी हो जाएँगी।

7. जीएसटी लागू होने से ऑनलाइन शॉपिंग अधिक महँगी हो जाएँगी।

8. यदि विक्रेता अपना लाभ मार्जिन बढ़ाता है तो वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा सकती है।

9. अंतिम उपभोक्ता को केवल आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा बदले गए जीएसटी का भुगतान करना होगा और इससे भारत के सभी राज्यों में कर दरों में एकरूपता आएगी।

10. कंपनियों के अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान आपूर्ति पर केवल केंद्र ही जीएसटी लगा सकता है और उसका संग्रह कर सकता है।

जीएसटी का क्षेत्रवार प्रभावः

फार्माः जीएसटी से फार्मा और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है। यह कराधान संरचना को व्यवस्थित करके उद्योगों की मदद करेगा। यह जेनेरिक दवा निर्माताओं के लिए समान अवसर पैदा करेगा, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देगा और कर संरचना को सरल बनाएगा।

एफएमसीजीः भारतीय एफएमसीजी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। जीएसटी के लागू होने के बाद इस क्षेत्र पर जीएसटी दर काफी कम होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।

रियल एस्टेटः रियल एस्टेट क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र भारत में रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अचल संपत्ति पर जीएसटी का कार्यान्वयन आंशिक रूप से प्रभावित होगा क्योंकि अचल संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण जीएसटी में शामिल नहीं है।

दूरसंचारः इस दूरसंचार क्षेत्र में जीएसटी के बाद कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। निर्माता लागत में बचत करेंगे। हैंडसेट निर्माता को जीएसटी के रूप में अपने उपकरण बेचना आसान लगेगा। कृषि क्षेत्रः कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र है। यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16% कवर करता है। जीएसटी भारत को कृषि वस्तुओं के लिए अपना पहला राष्ट्रीय बाजार (एक राष्ट्र एक कर) प्रदान कर सकता है। कृषि क्षेत्र पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सभी कर एक ही कर दर के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे।

सेवा क्षेत्रः भारत का सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा है। सेवा के लिए जीएसटी दर 18% है जो पिछली कर दर, जो 15% थी, से अधिक है। इसलिए बैंकिंग, दूरसंचार और बीमा जैसी सेवाओं की लागत में वृद्धि होगी।

वस्त्रः भारतीय वस्त्र उद्योग कुल वार्षिक निर्यात में 10% का योगदान देता है। यह देश में बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। यह उम्मीद की जाती है कि जीएसटी में कर की दर पहले लागू कर की दर से अधिक होगी क्योंकि कपास और ऊनी रेशे, जिन्हें कर से छूट प्राप्त है, जीएसटी के अंतर्गत कर के दायरे में आ जाएँगे। दूसरी ओर, विनिर्माण लागत बढ़ सकती है। ऑक्ट्रॉई, प्रवेश कर, विलासिता कर आदि जैसे विभिन्न करों के समाहित होने के कारण कर में कमी आई है। कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन जीएसटी लंबे समय में उद्योग को सहारा देगा।

जीएसटी की चुनौतियाँः

जीएसटी एक बहुत अच्छा नियम है। हालाँकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए, भारत में जीएसटी को लागू करने हेतु कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

1. यह आवश्यक है कि सभी राज्य जीएसटी को लागू करें।
2. जीएसटी नियम अधिक परिष्कृत और अनिश्चितता से मुक्त होने चाहिए।
3. जीएसटी एक गंतव्य–आधारित कर है। यह स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि माल किसे जा रहा है।
4. जीएसटी और इसके लाभों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करनी होगी।
5. जीएसटी एक दीर्घकालिक रणनीति है और इसका सकारात्मक प्रभाव लंबे समय में ही दिखाई देगा। इसलिए लोगों को इसके निहितार्थ को समझने में कुछ समय लगेगा।

निष्कर्षः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियम कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर लगाएँगे। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी) के अध्ययन से पता चलता है कि जीएसटी भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ावा देगा। जीएसटी राजस्व बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने का एक कुशल तरीका प्रदान करेगा। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे बड़ी, मध्यम, लघु उद्योग इकाइयाँ, आयातक, निर्यातक, व्यापारी, पेशेवर और उपभोक्ता जीएसटी से सीधे प्रभावित होंगे। जीएसटी कराधान के बोझ को कम करने में भी मदद करेगा, जो कर आधारित दरों को बढ़ाकर और छूट को कम करके विनिर्माण और सेवाओं के बीच समान रूप से विभाजित होगा। जीएसटी से कर संग्रह में सुधार और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

संदर्भः

1. पल्लवीकापिला (2018) ''जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव'' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशन, खंड 8, अंक 1।
2. यादव ए (2017) ''भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव'' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट स्टडीज, खंड 4, अंक 7
3. कांकीपति ए. कुमार (2017) ''वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की यात्रा और भारत में जीडीपी की वृद्धि पर जीएसटी का संरचनात्मक प्रभाव'' एडवांस्ड इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 5, अंक 3।
4. ए. दाश (2017) ''भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव'' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड एप्लाइड साइंस, खंड 3, अंक 5।
5. अग्रवाल वाई.के.सी. (2017) ''वस्तु एवं सेवा कर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव'' आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, खंड 19, अंक 10
6. शेख एस., समीरा एस. ए. और फिरोज एस.के. सी. (2015) ''क्या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारतीय आर्थिक विकास की ओर ले जाता है?'' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, खंड 17, अंक 12।
7. सेहरावत एम. और ढांडा यू., (2015), ''भारत में जीएसटीरू एक प्रमुख कर सुधार'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ग्रंथालय, खंड 3, अंक 12।
8. केशप. पीके, (2015) ''जीएसटी–भारत में वस्तु एवं सेवा कर'', जर्नल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स, खंड 3, अंक 4।
9. नितिन कुमार (2014) ''भारत में वस्तु एवं सेवा करः आगे की राह'', ग्लोबल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, खंड 3, अंक 6।
10. ई. अहमद और एस. पोद्दार (2009) ''भारत में वस्तु एवं सेवा कर सुधार और अंतर–सरकारी विचार'', एशिया रिसर्च सेंटर एलएसई 2009
11. गर्ग जी. (2014), ''भारत में वस्तु एवं सेवा कर की मूल अवधारणाएँ और विशेषताएँ''। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च
एंड मैनेजमेंट, खंड 2, अंक 2।

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

मनीश कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक
रसायन शास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय जैतपुर, जिला– भाहडोल (म.प्र.)

भाोध सारां"ा –

जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक रूप से, जीएसटी ने कर संरचना को सुव्यवस्थित किया है, लॉजिस्टिक्स लागत कम की है, और कर अनुपालन बढ़ाया है, जिससे जीडीपी वृद्धि और आर्थिक विकास में मदद मिली है। राजनीतिक रूप से, जीएसटी एक सहकारी संघवाद का प्रतीक है और केंद्र–राज्य संबंधों में सुधार की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसने कुछ राज्यों को कर संग्रह पर नियंत्रण खोने का डर भी पैदा किया है। जीएसटी, जिसे वस्तु एवं सेवा कर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में आर्थिक विकास को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के अप्रतिबंधित प्रवाह को बढ़ावा देने और कर–पर–कर के प्रभाव को समाप्त करके, प्रचलित अप्रत्यक्ष कर आधार को पुनर्जीवित करता है।

मुख्य भाब्द– भारतीय अर्थव्यवस्था, वस्तु एवं सेवा कर, जीडीपी वृद्धि, सहकारी संघवाद,

प्रस्तावना–

जीएसटी को एक ऐसे कर के रूप में समझा जा सकता है जिसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले, यह कहा जा सकता है कि जीएसटी ने देश के आर्थिक विकास में मदद की है। इसने सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों को कम करने में मदद की है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव को समझने के लिए, यह कहा जा सकता है कि जीएसटी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। दीर्घावधि में, जीएसटी सरकार के राजस्व को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जीएसटी के माध्यम से भारत में व्यापार करना भी आसान हो सकता है। इसके अलावा, जीएसटी रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद कर सकता है। इन सभी बातों के अलावा, जीएसटी की मदद से पूरी प्रणाली में एक प्रकार की पारदर्शिता लाई जा सकती है जिससे खरीदारों को यह पता चल सकेगा कि वे कौन से कर चुका रहे हैं और इन करों का आधार क्या है।

यह कहा जा सकता है कि जीएसटी की मदद से भारत में आर्थिक विकास को सुगम बनाने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता की व्यवस्था बनाकर हो सकता है। इसके अलावा, जीएसटी की मदद से विभिन्न राज्यों में विभिन्न करों का भुगतान करने की आवश्यकता कम होने से व्यापार करना आसान हो सकता है। इस प्रकार, जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव को समझा जा सकता है। दूसरी ओर, जीएसटी का नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों को अपनी वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के कारण नुकसान हो सकता है।

इस प्रकार, उपरोक्त अनुभागों की सहायता से, वस्तु एवं सेवा कर जैसी विभिन्न अवधारणाओं की समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को समझा जा सकता है।

अध्ययन के उद्दे"य–

प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? जीएसटी के आर्थिक प्रभाव, जीएसटी के राजनीतिक प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करना है।

आर्थिक प्रभाव–

राजस्व में वृद्धिः जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार का संकेत देता है।

कर प्रणाली का सरलीकरणः जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर प्रणाली में समाहित कर दिया है, जिससे व्यवसायों के लिए करों का भुगतान आसान हो गया है।

लागत में कमीः एकल कर प्रणाली के कारण, निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम हुई है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।

आर्थिक विकास को बढ़ावाः कर बाधाओं और दोहरे कराधान के उन्मूलन से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि हुई है।

ई–वे बिल का शुभारंभः अंतर–राज्य और राज्य के भीतर माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ई–वे बिल प्रणाली शुरू की गई है।

राजनीतिक प्रभाव–

राजकोषीय संघवाद पर प्रभावः जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध को नया रूप दिया है। जीएसटी परिषद जैसी संस्थाएं कर संबंधी निर्णय लेने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इसमें सहयोग और असहमति की गुंजाइश भी है।

पारदर्शिता में वृद्धिः एकल कर प्रणाली और ई–वे बिल जैसी पहलों के कारण कर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आई है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है।

राज्यों की चिंताओं का समाधानः राज्यों की चिंताओं को दूर करने और उनके साथ सहयोग करने के लिए जीएसटी परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच एक मंच के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

निश्कर्श–

जीएसटी भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, जीएसटी के कई फायदे है तो नुकसान भी है। जो निर्माताओं और उपभोक्ताओंध्ग्राहकों दोनों को ही प्रभावित करता है। जीएसटी से भारत में व्यापार करने में आसानी हो गई है, मुद्रास्फीति में कमी आ रही है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर जीएसटी का प्रभाव नकारात्मक भी है, जहाँ सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति को घटाने की कोशिश कर रहे है वहीं नकारात्मक पहलू उसे बढ़ा रहे है, क्यों कि जीएसटी की दरों ने कुछ उत्पादों और सेवाओं जैसे फार्मा उत्पादों, दूरसंचार, डेयरी उत्पाद आदि की लागत में वृद्धि की है। इन पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। हमारे देश भारत में जीएसटी प्रभाव का मूल्यांकन करते समय सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची–

1. www.google.com
2. www.civilserviceindia.com
3. पुस्तक–वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा कर, प्रकाशन NIRUPAM SAHITYA SADAN, लेखक– डॉ० बी० के० अग्रवाल और डॉ० विपुल विनोद।
4. www.cleartax.in
5, www.godigit.com
6. www.gsthelplineindia.com
7. Amar Ujala Daily Newspaper
8. www.abplive.com
9. www.unacademy.com

"जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण"

'विकासशील भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसटी की नीतिगत प्रासंगिकताः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'

सुनीता सिंह
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
शासकीय इन्दिरा गॉन्धी कन्या महाविद्यालय, भाहडोल (म.प्र.)

भाोध सारां"ा–
यह शोध–पत्र भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में जीएसटी की नीतिगत प्रासंगिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जीएसटी ने आर्थिक विकास, राजस्व संग्रह, औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार, व्यापार–व्यवहार में सुगमता तथा संघीय ढाँचे में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित किया है। शोध के अंतर्गत उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों, वित्त आयोग के दस्तावेजों, तथा विभिन्न शोध–पत्रों के आधार पर जीएसटी के लागू होने के पूर्व और बाद की स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। समग्र रूप से, यह शोध–पत्र निष्कर्ष निकालता है कि जीएसटी भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कर सुधार सिद्ध हुआ है, जिसने दीर्घकाल में विकास की संभावनाओं को मजबूत किया है। इसके बावजूद बहु–स्तरीय दर संरचना, अनुपालन सरलीकरण और राज्यों के साथ राजकोषीय समन्वय जैसी नीतिगत सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है। यह अध्ययन जीएसटी के भविष्यगत सुधारों पर नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं और व्यवसायिक समुदाय के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

मुख्य भाब्द– विकासशील अर्थव्यवस्था, अंतर्दृष्टि, नीति–निर्माताओं,

प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में लगातार बदलावों और सुधारों के दौर से गुजर रही है। आर्थिक विकास को गति देने, व्यापार को सुगम बनाने और कर प्रणाली को सरल करने के उद्देश्य से 2017 में जीएसटी लागू किया गया। यह सिर्फ एक कर सुधार नहीं था, बल्कि पूरे देश को एकीकृत आर्थिक ढाँचे में बाँधने का एक महत्वाकांक्षी कदम था। विविध करों को एक ही ढांचे में समाहित करके जीएसटी ने न केवल कारोबारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले, बल्कि सरकार के लिए पारदर्शी और स्थिर राजस्व प्रणाली का मार्ग भी प्रशस्त किया। जीएसटी के लागू होने से छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक, सभी के कार्य–प्रणाली में परिवर्तन आया। डिजिटल प्रक्रियाओं, ऑनलाइन रिटर्न और समान कर ढांचे के कारण व्यापार करना पहले की तुलना में आसान बना। हालांकि, इस बदलाव की राह पूरी तरह सहज नहीं थी। कई व्यापारियों को तकनीकी जटिलताओं, बार–बार रिटर्न दाखिल करने और नई प्रणाली को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और मुआवजा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों ने भी नीतिगत चर्चा को गहराई दी।

एक विकासशील देश के रूप में भारत के लिए यह आवश्यक है कि कर प्रणाली ऐसी हो जो विकास को प्रोत्साहित करे, आर्थिक असमानताओं को कम करे और उद्योगों को बढ़ावा दे। इसी संदर्भ में जीएसटी की नीतिगत प्रासंगिकता को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अध्ययन इसी उद्देश्य से तैयार किया गया हैकृताकि हम समझ सकें कि जीएसटी किस तरह देश की आर्थिक संरचना को प्रभावित कर रहा है, कहाँ वह सफल रहा है और किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है।

शोध उद्देश्य

- भारत की आर्थिकी के संदर्भ में जीएसटी के नीतिगत महत्व का विश्लेषण।
- कर संग्रह, सरकार की आय, और व्यवसाय पर जीएसटी का प्रभाव रेखांकित करना।
- सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारण में जीएसटी की उपयोगिता का अध्ययन।
- जीएसटी संबंधी व्यावहारिक चुनौतियाँ और संभावनाएँ स्पष्ट करना।

शोध विधि –

यह शोध द्वितीयक स्रोतों और उपलब्ध सांख्यिकीय तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। विभिन्न सरकारी वेबसाइट, शोध–पत्र, नीति आयोग की रिपोर्ट, तथा समाचार स्रोतों का अध्ययन किया गया है। विश्लेषणात्मक तरीके से महत्वपूर्ण आंकड़ों और नीतिगत पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण

• जीएसटी लागू होने के बाद विभिन्न अप्रत्यक्ष करों का स्थान एकीकृत कर व्यवस्था ने ले लिया, जिससे कारोबार में पारदर्शिता और प्रक्रिया में सरलता आई।

• जीएसटी से कर संग्रह में वृद्धि हुई, जिससे सरकार की राजस्व प्राप्ति मजबूत हुई तथा आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा मिला।

• दोहरी जीएसटी व्यवस्था के कारण करों का बँटवारा राज्यों एवं केंद्र के बीच संतुलित हुआ, जिससे संघीय ढांचे को मजबूती मिली।

• निवेश में वृद्धि दिखी है, क्योंकि व्यवसायों को विस्तारित बाजार मिला तथा करों की पारदर्शिता में विश्वास बढ़ा।

• विभिन्न दरों की बहुलता आई.टी. पोर्टल संबंधी समस्याएँ, और अनुपालन का बोझ अभी नीति निर्धारकों के सामने हैं।

सुझाव

• जीएसटी स्लैब को और भी सरल बनाना चाहिए ताकि आम जनता और लघु व्यवसायों के लिए इसे समझना व अनुपालन करना सुगम हो।

• अनुपालन प्रक्रिया में डिजिटल निरक्षरता और तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए।

• राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई और केंद्र–राज्य समन्वय को मजबूत किया जाए।

• नीति सुधारों में छोटे और मध्यम उद्यमों की भूमिका को और प्रोत्साहन मिले।

निष्कर्ष–

इस शोध–पत्र का निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत की आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार के रूप में उभरा है। एक विकासशील देश के रूप में भारत लंबे समय से एक ऐसी कर प्रणाली की आवश्यकता महसूस कर रहा था जो जटिलताओं से मुक्त हो, व्यापार को प्रोत्साहित करे और राजस्व संग्रह को अधिक पारदर्शी व स्थिर बनाए। जीएसटी ने इस दिशा में बुनियादी परिवर्तन किए हैं। जीएसटी ने कर संरचना को केंद्रीकृत और सरल बनाकर आर्थिक गतिविधियों में गति लाई है। अंतरराज्यीय व्यापार अब पहले की तुलना में अधिक सहज हुआ है, जिससे उद्योगों और व्यवसायों को नए अवसर मिले हैं। डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से कर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है, कर आधार विस्तृत हुआ है और कर चोरी में कमी देखी गई है। इससे न केवल सरकार के राजस्व में सुधार हुआ, बल्कि औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। जीएसटी के कुछ पहलुओं ने चुनौतियाँ पैदा कीं विशेषकर छोटे व्यवसायों के लिए जटिल तकनीकी प्रक्रियाएँ, कई दर श्रेणियों का होना, और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे। मुआवजा अवधि समाप्त होने के बाद राज्यों की राजस्व स्थिति और केंद्र–राज्य संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव भविष्य में विशेष नीतिगत ध्यान की मांग करता है।

समग्र रूप से, जीएसटी भारत की आर्थिक प्रगति में एक स्थायी और सकारात्मक कदम सिद्ध हुआ है। यह सुधार देश को एकीकृत बाजार के रूप में उभरने में मदद करता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसकी स्थिति को मजबूत बनाता है। फिर भी, इसके अधिक प्रभावी और संतुलित क्रियान्वयन के लिए दर संरचना के सरलीकरण, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय, और छोटे व्यवसायों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने जैसे अतिरिक्त नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं।

संदर्भ –

1.जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव -
https://www.thinkwithniche.in/blogs/details/gst-and-its-impact-on-indian-economy
2.Impact of GST on various sector of Indian economy - IJRARijrar.com

https://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20543403.pdf

3. GST संबंधी चुनौतियों का समाधान https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/navigating-gst-challenges

4. GST IN INDIA: ITS IMPACT ON INDIAN ECONOMY https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2212241.pdf

5.जी एस टी(GST) या वस्तु एवं सेवा कर : एक आसान व्याख्या | GST in Hindi https://cleartax.in/s/gst-in-hindi

6. [PDF] जीएसटी का भारतीय व्यापार पर प्रभाव (Impact of GST on Indian Trade) https://www.jetir.org/papers/JETIR2408466.pdf

7. Impact of GST on Economy of India with special refence to ... https://nipfp.org.in/media/medialibrary/2022/12/DM.pdf.pdf

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय महाविद्यालय जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

कमांक / / स्था. / 2025 जैतपुर, दिनांक– 22 / 10 / 2025

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वेबीनार का आयोजन करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है ।

क्रमांक	समिति	नाम
01	कार्यक्रम संचालन	1. प्रो.. आई. बी सिंह 2. डॉ. मनीष महरा 3. डॉ. जिया लाल राठौर 4. श्री मनीष कुमार पाण्डेय
02	तकनीकी	1. डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा 2. श्री रामसुमन अहिरवार 3. श्री संजीव प्रजापति
03	प्रचार–प्रसार	1. डॉ. अनीता शुक्ला 2. डॉ. जिया लाल राठौर 3. डॉ. संध्या सिंह राठौर
04	परामर्शदात्री	1. प्रो.. आई. बी सिंह 2. डॉ. अनीता शुक्ला 3. डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा 4. डॉ. संध्या सिंह राठौर 5. डॉ. मनीष महरा 6. डॉ. जिया लाल राठौर 7. श्री मनीष कुमार पाण्डेय 8. श्री प्रदीप कुमार डहेरिया

दिनांक 28 / 10 / 2025 को समय से पूर्व उपस्थित होकर वेबीनार का संचालन सुनिस्चित करेंगे साथ ही समस्त शैक्षिणिक स्टाफ वेबीनार के विषय पर अपना शोधपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे।

22/10/25

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर
जिला–शहडोल (म.प्र.)